राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955

राजस्थान
भारत

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955

नियम राजस्थान-किराएदारी-सरकार-नियम-1955, 1955

- 1 नवंबर 1955 को प्रकाशित
- **1 नवंबर 1955 को प्रारंभ हुआ**
- *[यह इस दस्तावेज़ का 1 नवंबर 1955 का संस्करण है।]*
- *[नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]*

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955अधिसूचना संख्या एफ. 1(37) राजस्व/बी/55, दिनांक 1-11-1955, राजस्थान राजपत्र, भाग 5-सी, दिनांक 17-12-1955 में प्रकाशितराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 257 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 259 की अपेक्षानुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है।

अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।

(1)इन नियमों को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 कहा जा सकता है।(2)वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. व्याख्या.

- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या 3, 1955) से है।
(2)राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम VIII, 1955) के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इन नियमों की व्याख्या पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम की व्याख्या पर लागू होते हैं।

अध्याय II
धारा 5 के खंड (28) के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए नियम

3.

[छोड़ा गया] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा छोड़ा गया।]*

4.

(1)जिन गांवों में बंदोबस्त कार्य प्रगति पर है, वहां बंदोबस्त अधिकारी, गांव के मवेशियों के सामान्यतः चरने वाले क्षेत्र के संबंध में ग्रामीणों से संक्षिप्त पूछताछ करने तथा ग्राम पंचायत से परामर्श करने के पश्चात चारागाह भूमि के सीमांकन के लिए कार्रवाई करेगा।
(2)ऐसे मामलों में जहां [गांव बीड़] *[अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-C(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित]* गांव के चरागाह के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है [नि:शुल्क] *[अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-C(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित द्वारा सम्मिलित]* और इसमें से कोई घास नहीं काटी जाती है, इसे "गैर मुमकिन चरागाह" के रूप में दर्ज किया जाएगा और मूल्यांकन से बाहर रखा जाएगा।
(3)ऐसे मामलों में जहां किसी बीड़ का उपयोग जागीरदार द्वारा घास संरक्षण के रूप में किया जाता है और घास काटने और हटाने के बाद ही उसे चराई के लिए छोड़ा जाता है, किसी चराई शुल्क के साथ या उसके बिना, ऐसे क्षेत्र को 'बीड़ मकबूजा' के रूप में दर्ज किया जाएगा। [xxx] *[सं. एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित द्वारा हटाया गया।]*
(4)[xxx] *[सं. एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित द्वारा हटाया गया।]*
(5)ऐसे मामलों में जहां सामान्य चरागाह क्षेत्रों की कमी है, ऊपर उल्लिखित 'मकबूजा' का हिस्सा या पूरा हिस्सा [xxx] *[सं. एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृष्ठ 19 में प्रकाशित]* बिरस' को 'चरागाह' में भी बदला जा सकता है।

5.

[xxx] *[सं. एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित द्वारा हटाया गया।]*

6.

[सभी गांवों में] *[सं. एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-C(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]* , जिनका सर्वेक्षण किया गया है और जिनमें कोई चारागाह भूमि चिह्नित नहीं की गई है, [तहसीलदार] *[अधिसूचना दिनांक 24-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 5-10-1967 में प्रकाशित।]* गांव के मकबूजा बीरों के खाली क्षेत्र से ऐसी भूमि को चिह्नित करने की कार्यवाही करेगा] *[अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर द्वारा प्रतिस्थापित। 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-C(I) असाधारण,*

दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।] ग्राम पंचायत के परामर्श से। ऐसा करते समय वह गांव में मवेशियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा और मोटे तौर पर प्रति मवेशी आधा बीघा का पैमाना अपनाएगा और न केवल गांव की मवेशियों की आबादी बल्कि खेती के अधीन उसके कुल खाली क्षेत्र और खेती के लिए जमीन की मांग को भी ध्यान में रखेगा। [तहसीलदार] *[अधिसूचना दिनांक 24-7-1967 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 5-10-1967 में प्रकाशित।]* ग्रामीणों को वह प्रस्ताव घोषित करेगा जो वह बनाना चाहता है; और [एसडीओ] *[अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 5-10-1967 में प्रकाशित।]* ग्रामीणों को प्रस्तावों पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जो वह अंतिम रूप से [तहसीलदार] *[अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 5-10-1967 में प्रकाशित।]* प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले।

6ए. [किसी भी क्षेत्र में, जो किसी भी सिंचाई परियोजना में शामिल है, चारागाह भूमि केवल गांव की असिंचित बंजर भूमि या गैर-कब्जे वाली भूमि में से चिन्हित की जाएगी।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 31-12-1959 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5-11-1959 द्वारा सम्मिलित।]*

7. [चारागाह भूमि का आवंटन या अलग करना.-

(1) कलेक्टर, पंचायत के परामर्श से, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (28) में परिभाषित किसी चरागाह भूमि या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 92 के अंतर्गत अलग की गई किसी चरागाह भूमि का वर्गीकरण, कृषि या किसी गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटन हेतु, खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में परिवर्तित कर सकेगा:

परंतु ऐसे मामले में जहां इस प्रकार आवंटित या पृथक की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर से अधिक है, कलेक्टर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा:[इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चरागाह भूमि का वर्गीकरण खनन प्रयोजनों के लिए अवाप्त कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमति केवल तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदक ने उसी गांव या उसी पंचायत के निकटवर्ती गांव में खातेदारी भूमि का बराबर क्षेत्रफल राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिया हो तथा ऐसी समर्पित भूमि को चरागाह भूमि के रूप में विकसित करने के लिए विकास शुल्क जमा करा दिया हो। वर्ष 2017-2018 के लिए विकास शुल्क में प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार जमा कराए गए विकास शुल्क का उपयोग जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से ग्राम पंचायत द्वारा गांव के मवेशियों के कल्याण के लिए भी किया जा सकेगा। अवाप्त कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में वर्गीकृत भूमि सदैव सभी प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि ही रहेगी तथा मानी जाएगी;] *[अधिसूचना दिनांक 19-5-1993 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी) दिनांक 29-5-1993, पृ. 40 में प्रकाशित।]*बशर्ते कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) में परिभाषित जयपुर क्षेत्र की सीमा के भीतर या किसी नगरपालिका की 2 किलोमीटर की परिधि

के भीतर आने वाली कोई भी भूमि, सार्वजनिक उपयोगिता संस्थान के प्रयोजन के लिए या आबादी के विस्तार के लिए ही आवंटित की जाएगी, अन्यथा नहीं।
(2)जहां उपनियम (1) के अंतर्गत किसी चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित किया जाता है, वहां कलेक्टर खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि के बराबर क्षेत्र को, यदि उपलब्ध हो, चारागाह भूमि के रूप में अलग कर सकता है [उसी गांव में या उसी पंचायत के भीतर निकटवर्ती गांव में:] *[अधिसूचना संख्या जीएसआर 38, दिनांक 20.6.2017 (17.12.1955 से) द्वारा 'उसी गांव में प्रतिस्थापित।]*[बशर्ते कि जहां बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं जैसे हवाई पट्टी, लिफ्ट सिंचाई, पंपिंग स्टेशन और पुनर्वास उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो और उसी गांव या उसी पंचायत के भीतर नजदीकी गांव में खाली कृषि योग्य सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो और आवश्यकता पूर्णतः अनिवार्य हो और वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो, खाली कृषि योग्य भूमि का बराबर क्षेत्र निकटवर्ती पंचायत के नजदीकी गांव में अलग रखा जा सकेगा। यदि ऐसे उद्देश्य के लिए निकटवर्ती पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है, तो इसे असाधारण मामलों में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जिले की अन्य पंचायत से अलग रखा जा सकेगा।] *[अधिसूचना संख्या एसओ 248, दिनांक 30.11.2017 (17.12.1955 से प्रभावी) द्वारा जोड़ा गया।]*[अध्याय II-A *[सं. एफ. 5(8) राजस्व/जीआर. IV/84/34, दिनांक 24-7-1984 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 26-7-1984, पृष्ठ 75 में प्रकाशित।]* धारा 15एएए के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

7ए. धारा 15एएए के अंतर्गत आवेदन।

(1)अधिनियम की धारा 15एएए की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र ए में होगा। इसे वादपत्र के रूप में सत्यापित किया जाएगा।
(2)आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाएगा जिसमें आवेदक के परिवार के सदस्यों के नाम, आवेदन की तिथि के अनुसार उनकी आयु और आवेदक से उनके संबंध शामिल होंगे। हलफनामे में आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत में कहीं भी रखी गई भूमि का विवरण भी शामिल होगा। आवेदक को स्वयं उस भूमि के क्षेत्रफल और उसके द्वारा देय आरक्षित मूल्य की गणना करनी होगी जिसके लिए उसने खातेदार घोषित करने के लिए आवेदन किया है।
(3)आवेदक को आरक्षित मूल्य की 1/16 राशि सरकारी खजाने में शीर्ष "068-विविध सामान्य सेवा (II) भूमि एवं संपत्ति का विक्रय (III) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का विक्रय" के अन्तर्गत जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ चालान की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
(4)यदि किरायेदार नियत तिथि पर अपेक्षित किस्त जमा करने में विफल रहता है, तो वह नियत तिथि से उसके भुगतान तक ऐसी किस्त की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय III
धारा 31 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

8. किरायेदारों को आवास-स्थल के आवंटन के लिए आवेदन।

- यदि आवेदित आवास-स्थल ऐसे गांव में स्थित है, जिसमें ग्राम पंचायत नहीं है, तो आवास-स्थल के लिए आवेदन संबंधित तहसील के तहसीलदार को लिखित रूप में किया जाना चाहिए, और अन्य मामलों में ग्राम पंचायत को, और उसमें आवश्यक भूमि, जिस प्रयोजन के लिए इसकी आवश्यकता है, अर्थात पक्का मकान, कच्चा मकान, पटोरे, एकढलिया, नोहरा या बाड़ा बनाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आवेदक को उस गांव में अपनी जोत का पूर्ण विवरण भी देना चाहिए जिसमें वह आवास-स्थल चाहता है, और यदि वह एक से अधिक गांवों में भूमि रखता है, तो उसे अपनी समस्त जोत का विवरण देना चाहिए और उस गांव को इंगित करना चाहिए जिसमें वह अधिनियम की धारा 31 [(1)] *[अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित]* द्वारा दी गई रियायत का आनंद लेना चाहता है। आवेदक को आवेदन में यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि जिस गांव में वह मकान चाहता है, उस गांव की आबादी में उसका कोई मकान नहीं है।

8ए. [कृषि श्रमिक या कारीगर द्वारा आवासीय मकान के लिए स्थल हेतु आवेदन.- अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन कृषि श्रमिक या कारीगर द्वारा मकान-स्थल के लिए आवेदन प्ररूप एए में किया जाएगा।] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा सम्मिलित।]***

9.

प्राप्त प्रत्येक आवेदन को एक अलग मामले के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए तथा हलका के पटवारी से आवेदन में दिए गए कथनों की सत्यता तथा आवेदित स्थल की उपलब्धता या अनुपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए।

10.

तथ्य यह है कि किसी विशेष स्थल के लिए आवेदन किया गया है, उसे गांव में ढोल पिटवाकर (आवेदक के खर्च पर) या सार्वजनिक घोषणा द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, और [फॉर्म एएए] *[अधिसूचना दिनांक 16.12.1974 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 16-12-1974 में प्रकाशित।]* गांव की चौपाल और आवेदित स्थल पर 10 दिनों की अवधि के लिए नोटिस चिपकाया जाना चाहिए [xxx] *[अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा हटा दिया गया, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित।]*

11।

पूर्वगामी नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, पटवारी नियम 8 के अधीन आवेदन के संबंध में [प्रपत्र बी] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा पुनःसंख्यांकित एवं सम्मिलित]* में और नियम 8ए के अधीन आवेदन के संबंध में प्ररूप बीबी में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ में प्रकाशित नोटिस, तथा उसके प्रकाशन का प्रमाण-पत्र, जो उसके और गांव के पटेल या लंबरदार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो, तथा स्थल का नियमित मानचित्र और खसरा भी प्रस्तुत करेगा।

12.

पटवारी को स्वीकृत की जाने वाली साइट का नक्शा तैयार करना चाहिए जिसमें दिशाएँ, आस-पास की इमारतें और साइट को पड़ोस में किसी भी स्थायी या अर्ध-स्थायी चिह्नों से जोड़ने वाले माप दिखाए जाएँ। ये सभी माप प्लॉट किए गए स्केच में दर्ज किए जाने चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से वह पैमाना दिखाया जाना चाहिए जिस पर प्लॉट बनाया गया है। रफ पेंसिल स्केच जो पैमाने पर नहीं हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

13.

[(1) यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो, यथास्थिति, तहसीलदार या ग्राम पंचायत को पहले उन आपत्तियों को सुनना और उनका निपटारा करना चाहिए, और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो, यथास्थिति, तहसीलदार या ग्राम पंचायत को लिखित आदेश द्वारा मामले का निपटारा करना चाहिए।

(2)[अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) तथा नियम 8ए के अन्तर्गत आवेदनों के मामले में यह जांच की जाएगी कि क्या आवेदक उस उपधारा के अर्थान्तर्गत कृषि श्रमिक या कारीगर है तथा क्या वह गांव की आबादी में दस वर्ष या उससे अधिक समय से स्थाई रूप से निवास कर रहा है।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा पुनःसंख्यांकित एवं अंतःस्थापित।]*]

13ए. [नियम 9 से 13 तथा नियम 16 में किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार या ग्राम पंचायत, जैसा भी मामला हो, पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात तथा आवेदक की निःशुल्क निवास स्थान प्राप्त करने की पात्रता तथा उसकी उपलब्धता के संबंध में, जैसा वह उचित समझे, जांच करने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा मामले का निपटारा कर सकेगा। भूमि के आवंटन का आदेश गांव के मजमा-आम में किया जाएगा। भूमि का कब्जा दिए जाने से पूर्व, उस स्थान पर खड़े वृक्षों को हटा दिया जाएगा, जब तक कि आवंटी, तहसीलदार या ग्राम पंचायत, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार न हो।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 16-12-1974 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16.12.1974 द्वारा सम्मिलित।]*

यह नियम 15 जनवरी, 1975 तक प्रभावी रहेगा। यह *नियम 25 जनवरी, 1975 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित है, जो राजस्थान सरकार के राजपत्र, भाग IV(सी) में दिनांक 30 जनवरी, 1975 को प्रकाशित हुई थी*।

14.

रेलवे बाड़ के सौ गज के भीतर या सरकार द्वारा अनुरक्षित सड़कों के पचास गज के भीतर की भूमि काश्तकारों को आवास-स्थल के लिए आवंटित नहीं की जाएगी। जयपुर शहर की नगरपालिका सीमा से 12 मील की परिधि में भूमि; तथा किसी कस्बे की पाँच मील की परिधि में स्थित भूमि आयुक्त की स्वीकृति के बिना आवंटित नहीं की जानी चाहिए।

15.

प्रीमियम (नजराना) से मुक्त आवास-स्थल निम्नलिखित पैमाने पर प्रदान किए जाएंगे:-

(क) 100 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक किराया देने वाले किरायेदार को।

(बी) 50/- से 100/- रुपये के बीच किराया देने वाले किरायेदार कोदेहात
(ग) 50 रुपये प्रति वर्ष से कम किराया देने वाले किरायेदार को
(घ) [किसी कृषि श्रमिक या कारीगर को। *[अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित।]*

16.

जहां आवेदित स्थल पर वृक्ष हैं, वहां तहसीलदार या ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मूल्य, जैसा भी मामला हो, आवेदक को स्थल पर कब्जा दिए जाने से पहले उससे वसूल किया जाना चाहिए।

17.

भूमि पर स्थित किसी भी भवन, कुआं आदि का मूल्य भी इसी प्रकार वसूला जाना चाहिए।

अध्याय IV
अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

18. पट्टों का प्ररूप और उनके प्रतिरूप।

- सभी पट्टे और उनके प्रति-भाग फार्म सी में होंगे और उनमें उसमें उल्लिखित सभी विवरण शामिल होंगे।अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम।

19. पंजीकरण के बदले पट्टों का सत्यापन।

अधिनियम की धारा 33 के अधीन पंजीकृत लिखत द्वारा किए जाने वाले पट्टों या प्रति-भागों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। [xxx] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 16-7-1959 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16-6-1959 द्वारा हटा दिया गया।]*

20.

अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व न्यायालय और प्रत्येक राजस्व अधिकारी को, जो भूमि अभिलेख निरीक्षक से निम्नतर रैंक का न हो, जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के भीतर वह संपूर्ण भूमि या उसका कुछ भाग, जिससे पट्टा या प्रतिभाग संबंधित हैं, स्थित है, ऐसे दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है।

21. सत्यापन का प्रारूप.

अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित समर्थन, यथासम्भव निम्नलिखित रूप में होगा:-यह दस्तावेज़ मेरे समक्ष वर्ष ..... के .....दिन को नीचे निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैंने उनकी/उनकी पहचान और उनके/उनके परिचय के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, तथा दस्तावेज़ की शर्तों से सहमत हूँ।निष्पादन (नाम) द्वारा स्वीकार किया जाता है.....पुत्र

.....जाति
.....पेशा
.....रहने वाली हो
.....और (नाम)
.....पुत्र
.....जाति
.....पेशा
.....रहने वाली हो
.....जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं
.....याजिनकी पहचान (नाम) से होती है.....पुत्र
.....जाति
.....पेशा
.....रहने वाली हो
.....और (नाम)
.....पुत्र
.....जाति
.....पेशा
.....जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं
.....याजिनकी पहचान (नाम) से होती है
.....पुत्र
.....जाति
.....पेशा
.....रहने वाली हो
.....जो स्पष्ट रूप से सम्मानीय है

सत्यापन की तिथि	निष्पादक या निष्पादकों के हस्ताक्षर	गवाहों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	सत्यापन अधि

22. वे व्यक्ति जो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।

- सत्यापित किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज को निष्पादनकर्ता द्वारा स्वयं या उसके एजेंट, प्रतिनिधि या [असाइनी] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 17-8-1965 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा सम्मिलित] द्वारा* व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा , जो भारत में रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और उसके द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होगा।

23. भूमि अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाने वाली प्रविष्टियाँ।

- यदि सत्यापन भूमि अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया जाता है, तो वह अपने सत्यापित दस्तावेजों के रजिस्टर में (नीचे दिए गए प्रारूप में) दस्तावेज की प्रस्तुति की तारीख, दस्तावेज की प्रकृति और दस्तावेज के निष्पादनकर्ता का नाम और पता दर्ज करेगा और अपनी डायरी में सत्यापन के तथ्य को भी दर्ज करेगा। यदि वह निष्पादनकर्ता की पहचान या दस्तावेज की शर्तों से उसके

परिचित होने और सहमति के बारे में संतुष्ट नहीं है, या यदि निष्पादन उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो वह इसे सत्यापित करने से इंकार कर देगा, और अपनी डायरी में प्रस्तुति की तारीख, दस्तावेज की प्रकृति, निष्पादनकर्ता का नाम और पता, और उसके इनकार का कारण दर्ज करेगा।प्रमाणित दस्तावेजों का रजिस्टर[राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम का नियम 23 देखें] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 17-8-1965 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17-8-1965 द्वारा सम्मिलित।]*

क्र. सं.	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि	दस्तावेज़ की प्रकृति	निष्पादक का नाम और पता	सत्यापनकर्ता निरीक्षक का नाम, भूमि अभिलेख	सत्यापनकर्ता निरीक्षक, के हस्ताक्षर।

24.

जहां कोई दस्तावेज एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न तारीखों पर निष्पादित किया गया हो, वहां अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक द्वारा विहित समय के भीतर सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, उसे उस समय निष्पादित माना जाएगा जब अंतिम निष्पादनकर्ता ने उस पर हस्ताक्षर किए थे।[अध्याय IV-A *[दिनांक 17-8-1965 की अधिसूचना द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 17-8-1965 में प्रकाशित]*

24ए. एक गज की गहराई तक खुदाई करना।

- जोत की सतह से एक गज की गहराई तक खुदाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यहां तक कि नियम 24बी में उल्लिखित त्रिज्या के भीतर स्थित जोत के मामले में भी।[अध्याय IV-AA] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 17-8-1965 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17-8-1965 द्वारा सम्मिलित।]*

24एए.

[(1) राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करने वाले एक ही वर्ग के काश्तकारों द्वारा भूमि का आदान-प्रदान, ऐसे काश्तकारों की लिखित में पारस्परिक सहमति से, उस तहसील के तहसीलदार द्वारा जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, या यदि ऐसी भूमि एक ही जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थित है तो जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 11-9-1958 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27-8-1958 द्वारा प्रतिस्थापित।]*(2)जहां राज्य सरकार के किसी काश्तकार द्वारा भूमि ली गई हो, वहां सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे काश्तकार की सहमति से उसे काश्तकार को दी गई भूमि के बदले में कोई अन्य भूमि दे सकेगा।

24बी. अन्य मामलों में तहसीलदार को आवेदन।

- निम्नलिखित त्रिज्याओं में स्थित जोत के मामले में यदि खेत को एक गज से अधिक गहराई तक खोदना हो तो पूर्व अनुमति आवश्यक होगी:-

(मैं)जयपुर शहर की नगरपालिका सीमा से बारह मील बाहर, या

(ii)राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38, 1959) में परिभाषित किसी अन्य शहर से छह मील दूर, या

(iii)किसी अन्य नगर पालिका से तीन मील की दूरी पर, या

(चतुर्थ)किसी ऐसे क्षेत्र के दस मील तक, जिसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 35, 1959) की धारा 3 के अधीन जारी आदेश द्वारा

सिविल सर्वेक्षण करने तथा मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है, या(वी)किसी शहर, कस्बे, गांव या अन्य क्षेत्र से दस मील की दूरी तक, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाला कोई उद्योग स्थापित किया गया है या स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

24सी. आवेदन की विषय-वस्तु।

आवेदन-पत्र उस तहसील के तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा जिसमें जोत स्थित है और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात:-

(मैं)किरायेदार का नाम, माता-पिता का नाम और पता;

(ii)उसकी जोत का विवरण, गांव का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्र, मृदा वर्ग और किराया;

(iii)जिस विशेष खेत से खुदाई की जानी है उसका खसरा संख्या, क्षेत्रफल और मृदा-वर्ग तथा निकटतम शहर या कस्बे से उसकी दूरी;

(चतुर्थ)जिस प्रयोजन के लिए खुदाई की जानी है, उसके साथ निर्मित किए जाने वाले सुधार कार्य का विवरण तथा प्राप्त की जाने वाली सामग्री का उपयोग किस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है;(वी)उपलब्ध होने वाली अपेक्षित सामग्री की प्रकृति;

(छठी)कितनी गहराई तक खुदाई की जानी है; तथा(सात)कुल उत्खनन किया जाने वाला क्षेत्रफल।

24डी. आवेदन की जांच और निपटान।

(1)नियम 24बी के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा अथवा नायब तहसीलदार अथवा गिरदावर न्यायालय से निरीक्षण कराएगा तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा, अर्थात:-(ए)उत्खनन की आवश्यकता;(बी)अनुमति देने की सलाह या अन्यथा;(सी)वह क्षेत्र जिसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए;(डी)वह गहराई जिस तक खुदाई की अनुमति दी जानी चाहिए; तथा(इ)अनुमति प्रदान करने पर लगाई जाने वाली शर्तें, यदि कोई हों।(2)पूर्वोक्त बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार, कारणों को दर्ज करते हुए अनुमति दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है, यदि जिस गहराई तक खुदाई की जानी है वह छह गज से अधिक नहीं है।(3)यदि जिस गहराई तक खुदाई की अनुमति दी जानी है वह छह गज से अधिक है तो तहसीलदार अपनी सिफारिश के साथ मामले को कलेक्टर के पास भेजेगा और कलेक्टर आवश्यक अनुमति दे सकता है या दर्ज किए जाने वाले कारणों से उसे अस्वीकार कर सकता है।[24घ.xxx] *[राजस्थान राजपत्र, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. 107(3) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा हटा दिया गया।]*[24DDD. xxx] *[अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा हटाई गई, राजस्थान राजपत्र, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. 107(3) में प्रकाशित]*[अध्याय IV-ए] *[सं. एफ. 5(30) राजस्व/जीआर. 4/79, दिनांक 24-4-1981 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 24-4-1981, पृ. 9-13 में प्रकाशित।]*

24घघघ. [धारा 42-बी के अंतर्गत बिक्री, उपहार या वसीयत के नियमितीकरण की प्रक्रिया.- किसी खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी पूरी जोत या उसके हिस्से में किए गए हित की बिक्री, उपहार या वसीयत जो राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 22) के लागू होने के पूर्व की गई हो, धारा 42 के खंड (क) के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण शून्य थी, जैसा कि उक्त संशोधन अधिनियम, 1992 के पूर्व था, ऐसी बिक्री, उपहार या वसीयत को

कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सरकार द्वारा उसकी ओर से संबंधित नियमों में निर्धारित शुल्क और/या शास्ति के नीचे दर्शाई गई रीति से भुगतान करने पर वैध घोषित किया जा सकेगा:-] *[सं. एफ 5(30) राजस्व/जीआर द्वारा जोड़ा गया। 4/79, दिनांक 24-4-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 24-4-1981, पृ. 9-13 में प्रकाशित।]*

(1)धारा 42बी के अंतर्गत किसी बिक्री, उपहार या वसीयत को वैध घोषित करने के लिए आवेदन किरायेदार द्वारा फॉर्म सीसी में 10 रुपये के शुल्क के साथ किया जाएगा:[बशर्ते कि ऐसा आवेदन 31-3-2010 तक किया जाएगा।] *[अधिसूचना संख्या जीएसआर 9, दिनांक 20.5.2009 द्वारा प्रतिस्थापित (17.12.1955 से प्रभावी) ।]*
(2)ऐसे मामले में जहां भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन में परिवर्तित किया जाता है, वहां उपर्युक्त खंड (1) के अंतर्गत घोषणा के लिए आवेदन के साथ कृषि प्रयोजन में परिवर्तन के लिए प्रावधान करने वाले सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार भूमि के परिवर्तन के लिए अनुरोध करने वाला एक अन्य आवेदन संलग्न किया जाएगा।
(2ए)[ऐसी स्थिति में जहां ऐसी बिक्री, उपहार या वसीयत कृषि प्रयोजन के लिए हो, वहां जुर्माना जोत के लिए देय राजस्व के दस गुना के बराबर होगा।] *[अधिसूचना दिनांक 27-6-1998 द्वारा जोड़ा गया, राजस्थान राजपत्र, भाग 4(सी), दिनांक 6-7-1998, पृ. 128 में प्रकाशित।]*
(3)आवेदन प्राप्त होने पर, कलेक्टर या अधिनियम की धारा 42बी के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी आवेदन की जांच करेगा और ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बिक्री, उपहार या वसीयत में शामिल भूमि अन्यथा उस उद्देश्य के लिए परिवर्तित किए जाने के लिए उपयुक्त है जिसके लिए इसका उपयोग राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत औद्योगिक, आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के परिवर्तन के लिए बनाए गए प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और उसके बाद उस पर उचित आदेश पारित करेगा।[अध्याय IVB] *[अधिसूचना दिनांक 17-8-1965 द्वारा पुन: क्रमांकित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV (सी), दिनांक 17-8-1965 में प्रकाशित।]* अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम क्षेत्रों का निर्धारण

24ई. [न्यूनतम क्षेत्र.- अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच एकड़ होगा:

बशर्ते कि जहां किसी काश्तकार के पास प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि हो, वहां ऐसा न्यूनतम क्षेत्रफल 2.5 एकड़ होगा।] *[सं. एफ. 6(23) राजस्व/जीआर. IV/79/60, दिनांक 2-9-1986, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 18-9-1986, पृ. 165 में प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।]*स्पष्टीकरण.- श्रेणी I सिंचित भूमि से तात्पर्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमि से है जो एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम हो।

अधिनियम की धारा 84 के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए अध्याय V नियम

24ईई. [आवेदन का प्रारूप.- (1) अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अनुमति के लिए आवेदन प्रारूप "सीआई" में होगा।

[बशर्ते कि आवेदक की भूमि पर खड़े यूकेलिप्टस, सु-बाबुल, अर्दु, विलायती बाबुल, [देसी बाबुल] और इजराइली बाबुल को हटाने के लिए नकद में ऐसी कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी।]

(2)इसे उस सर्किल के पटवारी के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वह भूमि स्थित है जिस पर से वे पेड़ हटाए जाने हैं।] *[अधिसूचना दिनांक 27-4-1977 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार के राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 27-4-1977 में प्रकाशित और संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा पुनःसंख्यांकित, राजस्थान सरकार के राजपत्र, IV-C(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृष्ठ 19 में प्रकाशित।]*

24एफ. पटवारी की रिपोर्ट।

- पटवारी आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर और घटनास्थल देखने के बाद, आवेदन में वर्णित विवरणों की सत्यता या असत्यता के संबंध में फार्म सीआई के भाग 2 में तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24जी. [जांच एवं निपटान [xx] *[सं. एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]* .- (1) तहसीलदार प्रत्येक मामले में स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक, भू-अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा। तहसीलदार या ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इंगित करेगा (क) आवेदक की जोत का कुल क्षेत्रफल खसरा संख्या सहित; (ख) जोत पर खड़े पेड़ों की संख्या; (ग) हटाए जाने वाले पेड़ों की संख्या; (घ) उन पेड़ों को हटाने का औचित्य जिन्हें हटाने की अनुमति दी जा सकती है, और (ङ) विशिष्ट कारण जिनके लिए पेड़ों को हटाना आवश्यक है। निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्म सीआई भाग III में प्रस्तुत की जाएगी।

(2)इन नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, तहसीलदार, ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आवेदन के गुण-दोष के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात कि हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक नहीं है और जिस प्रयोजन के लिए हटाए जाने की मांग की गई है उसके अनुरूप है, निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अनुमति प्रदान करेगा, किन्तु -(ए)[तहसीलदार उपरोक्त परंतुक की अधिकतम सीमा के अधीन 15 वृक्षों को हटाने की अनुमति देगा। *[सं. एफ. 6(23) राजस्व/जीआर. IV/79/60, दिनांक 2-9-1986, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 18-9-1986, पृ. 165 में प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।]*(बी)यदि आवेदन 15 से अधिक वृक्षों को हटाने के लिए है तो तहसीलदार आवेदन को रिपोर्ट के साथ संबंधित उप-विभागीय अधिकारी को भेजेगा। उप-विभागीय अधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात तथा पूर्वोक्त परंतुक की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए कारण बताते हुए अनुमति प्रदान करेगा अथवा अस्वीकार करेगा।]

(3)अनुमति, मंजूरी की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी, तथा इसे 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।[बशर्ते कि खातेदार को किसी भी कैलेण्डर वर्ष में अपनी जोत पर खड़े वृक्षों के 10% से अधिक को काटने की अनुमति नहीं होगी।] *[सं. एफ.*

6(23) राजस्व/जी.आर. IV/79/60, दिनांक 2-9-1986, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 18-9-1986, पृ. 165 में प्रकाशित द्वारा जोड़ा गया।]

24एच. अनुमति प्रदान करने की शर्तें.

(1)किसी भी पेड़ या पेड़ों के वर्ग को हटाने की अनुमति निम्नलिखित मामलों में दी जा सकती है:-

(मैं)यदि इससे ग्राम समुदाय द्वारा या उसकी ओर से किसी निर्माण कार्य में सहायता मिलेगी; या
(ii)यदि ऐसा हटाना काश्तकार की खेती या अन्य कृषि गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक हो; या
(iii)यदि इससे किरायेदार की कोई वास्तविक मौजूदा शिकायत कम हो जाएगी;
या(चतुर्थ)यदि मौजूदा पेड़ सूख गए हैं और उन्हें हटाना नए पेड़ लगाने के हित में है;
या(वी)फलदार वृक्षों के मामले में, यदि ऐसे वृक्ष अधिक परिपक्व हो गए हों तथा उनमें सड़न और गिरावट आ गई हो;
या(छठी)यदि ऐसे वृक्ष इतने घने हैं कि वे मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं या अन्यथा मिट्टी या खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यदि कोई हो।
(2)इन नियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने से पहले, आवेदक लिखित रूप में वचन देगा कि वह काटे जाने की अनुमति वाले एक पेड़ के बदले में दो पेड़ लगाएगा और उन्हें स्थिर करेगा। पेड़ों को वचन में दर्शाए गए स्थान पर लगाया जाएगा और यदि ऐसा कोई स्थान उसमें नहीं दर्शाया गया है, तो तहसीलदार द्वारा निर्देशित स्थान पर लगाया जाएगा। यदि उस भूमि पर नए पेड़ लगाना संभव नहीं है, जहां से पेड़ों को हटाया गया है, जिससे भूमि, खड़ी फसलों, घास या पेड़ों या पड़ोसियों की इमारत को नुकसान न पहुंचे, तो उन्हें तहसीलदार द्वारा निर्देशित स्थान पर लगाया और स्थिर किया जाएगा:परन्तु दो वृक्ष लगाने की शर्त लागू नहीं होगी यदि उपधारा (1) के खण्ड (vi) के अधीन अनुज्ञा मांगी गई है और जोत का कोई अन्य भाग ऐसा नहीं है जहां ऐसे वृक्ष सुविधापूर्वक लगाए जा सकें।
(3)यदि अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो इनकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और आवेदक को सूचित किया जाएगा।

24झ. निरीक्षण.

- इन नियमों के अधीन जारी की गई समस्त अनुमतियों का किसी राजस्व अधिकारी, किसी वन अधिकारी, जो पुलिस उपनिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन या जारी करने में अनियमितता पाए जाने पर अधिकारी द्वारा इसकी सूचना उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसने अनुमति जारी की है। [भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण प्ररूप सीआइ भाग VI में निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, सं. अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा जोड़ा गया।]*

24जे. अनुमति रद्द करना।

- इन नियमों के अधीन अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय, वृक्षों को काटने से पूर्व, अनुमति रद्द कर सकता है, जहां बाद में यह पाया जाता है कि आवेदक ने अनुमति प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया था।

24K. अनुमति का प्रारूप और रजिस्टर।

- [(1)] *[पुनःसंख्यांकित अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]* अनुमति प्ररूप "सी-II" में दी जाएगी तथा उसी प्ररूप में अनुमति का रजिस्टर प्रत्येक तहसील कार्यालय में संधारित एवं अद्यतन रखा जाएगा।

(2)[उन सभी मामलों में जिनमें [पंद्रह वृक्षों तक] हटाने की अनुमति प्रदान की गई है *[अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, चतुर्थ-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित] द्वारा जोड़ा गया,* अनुमति के ऐसे आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी को भेजी जाएगी तथा अन्य मामलों में जहां 15 से अधिक वृक्षों को हटाने की अनुमति प्रदान की गई है, अनुमति के ऐसे आदेश की एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी। अनुमति के ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति निरीक्षक भू-अभिलेख तथा पटवारी को भी पृष्ठांकित की जाएगी, जो यह जांच करेंगे कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करेंगे।]

25.

अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (5) के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा।

(1)विशेष लाइसेंस. – शून्य

(2)सामान्य लाइसेंस - एक अन्ना प्रति पेड़, 5 रुपये प्रति एकड़, जो भी कम हो।[अध्याय VA] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(C), दिनांक 12-6-1958 में प्रकाशित, दिनांक 6-5-1958 की अमेरिकी अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया।]* धारा 98, 99, 100 और 104 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

25ए. अधिकतम किराया जहां भू-राजस्व तय किया जाता है।

- नियम 24सी के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कहीं भू-राजस्व का मूल्यांकन संपदा धारकों पर बंदोबस्त द्वारा नकद में किया गया है और ऐसे संपदा धारकों के काश्तकारों द्वारा किराया नकद में देय है और ऐसा किराया पहले से ही बंदोबस्त विभाग द्वारा नकद में निर्धारित नहीं किया गया है या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसे संपदा धारकों द्वारा ऐसे काश्तकारों से लिया जाने वाला किराया ऐसे भू-राजस्व की राशि के दो गुने से अधिक नहीं होगा;

25बी. उन क्षेत्रों में अधिकतम किराया जहां किराया तय हो चुका है।

- नियम 25सी के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां भी किरायेदारों द्वारा देय किराया निपटान द्वारा नकद में निर्धारित किया गया है और उप-किरायेदारों द्वारा किराया नकद में देय है, लेकिन ऐसे उप-किरायेदारों द्वारा मुख्य किरायेदारों को देय नकद किराया निपटान विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री द्वारा या उसके तहत

तय नहीं किया गया है, मुख्य किरायेदारों द्वारा अपने उप-किरायेदारों से वसूला जाने वाला किराया इस प्रकार निर्धारित या तय किए गए किराए की राशि के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

25सी. कुछ मामलों में उच्चतम अधिकतम।

- जहां संपदा-धारक या किराएदार, जो उप-किराए पर देता है, विधवा या अवयस्क या विकलांग व्यक्ति या 25 वर्ष से कम आयु का विद्यार्थी है और किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा है, वहां ऐसे संपदा-धारक द्वारा किराएदार से या ऐसे प्रधान किराएदार द्वारा उप-किराएदारों से वसूला जाने वाला किराया संपदा-धारक की दशा में निर्धारित भू-राजस्व के ! गुना तक बढ़ाया जा *सकेगा*, ऐसे काश्तकार की दशा में जो उप-किराए पर देता है , निर्धारित किराए का ! गुना जोड़ा जाएगा।

25डी. वस्तु के रूप में किराये की अधिकतम दर।

- जहां लगान वस्तु के रूप में देय है, वहां उप-किराएदार द्वारा किसी अवयस्क या पागल या मूर्ख या अविवाहित या तलाकशुदा महिला जो अपने पति से अलग हो गई हो या विधवा हो या अंधेपन या अन्य शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण अपनी जोत पर खेती करने में असमर्थ हो या 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा हो, को देय अधिकतम वस्तु किराया सकल उपज का ¼वां भाग हो सकेगा।

अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अध्याय VI नियम

26.

कृषि आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं (1) व्यापक और (2) स्थानीय। अकाल और सूखा व्यापक माना जाता है, जबकि पाला, जंग, ओलावृष्टि, टिड्डियाँ और बाढ़ आम तौर पर स्थानीय होती हैं जो सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कृषि आपदा आने पर, राहत या तो निलंबन द्वारा या लगान में छूट देकर दी जाती है।

27. यह निर्णय लेने के सिद्धांत कि निलंबन या छूट की सिफारिश की जानी चाहिए।

- खरीफ को प्रभावित करने वाली आपदा के मामले में सामान्यतः निलंबन पर्याप्त होगा, किन्तु जब आपदा असाधारण रूप से गंभीर हो या जब पिछली फसल विफलताओं के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, या जब खरीफ मुख्य या असाधारण रूप से महत्वपूर्ण फसल हो, तो लगान में छूट की सिफारिश की जाएगी।जब आपदाएँ रबी को प्रभावित करती हैं, तो आमतौर पर छूट का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। खरीफ को प्रभावित करने वाली कृषि आपदा की घटना पर आमतौर पर छूट न देकर निलंबन क्यों दिया जाता है, इसका कारण यह है कि खरीफ (कपास को छोड़कर) आम तौर पर लोगों की खाद्य फसलों से बना होता है, जबकि रबी में नकद या किराया देने वाली फसलें होती हैं। इसलिए, किराए के निलंबन या छूट के माध्यम से राहत की सीमा निर्धारित करने में खरीफ और रबी की फसलों के सापेक्ष महत्व पर विचार करना आवश्यक है:[परन्तु जहां किसी गांव में लगातार तीन वर्षों तक अकाल पड़ा हो और समस्त फसलों में 8 आने से अधिक की क्षति हुई हो, वहां कलेक्टर प्रथम वर्ष के लिए लगान में

स्वतः छूट देगा।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 27-4-1977 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27-4-1977 द्वारा प्रतिस्थापित एवं जोड़ा गया।]*

28. तत्परता आवश्यक है।

- राहत [*द्वारा प्रतिस्थापित] [अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र में प्रकाशित, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19.]* व्यक्तियों द्वारा उठाई गई हानि से संबंधित होगी , लेकिन आदेश जारी करने में तत्परता हानि के आकलन में सावधानीपूर्वक सटीकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है /विशेषकर जब हानि वाला क्षेत्र बड़ा हो, तो विभिन्न फसलों को हुई हानि में छोटे अन्तर को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा हानि की औसत दर मान ली जाएगी /

29. [राहत का पैमाना.- किराये में दी जाने वाली राहत और जोत पर गणना की गई

सामान्यतः प्रति रुपया पैसे में मापा गया घाटाउत्पादन करना	किराये में राहत
1.	37 पैसे से कम
2.	कुल राशि 37 पैसे है परंतु 50 पैसे नहीं है
3.	50 पैसे के बराबर परंतु 62 पैसे के बराबर नहीं
4.	62 पैसे के बराबर परंतु 75 पैसे के बराबर नहीं
5.	कुल 75 पैसे
6.	75 पैसे से अधिक

हानि के बीच संबंध निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

उन जोतों के मामले में जिनका किराया उपज के विभाजन द्वारा देय है या खड़ी फसलों के मूल्यांकन पर आधारित है, राहत आमतौर पर नहीं दी जाती है।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी (I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृष्ठ 19 में प्रकाशित, अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।]*

30. यह निर्णय लेने के सिद्धांत कि निलम्बित राशि वसूल की जानी चाहिए या नहीं।

- निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर कलेक्टर को यह निर्णय लेना चाहिए कि निलंबित राशि या वसूली के लिए देय किराया वसूल किया जाना चाहिए या नहीं:-

(ए)निलंबित लगान लोगों की परिस्थितियों और फसल कटाई परमिट के परिणाम *के अनुरूप होते ही वसूल किया जाना चाहिए।*

(बी)जैसे ही उस फसल की संभावनाएं, जिस पर निलम्बन वसूली का अनंतिम प्रस्ताव किया गया है, पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाएं, कलेक्टर को बकाया राशि की वह राशि निर्धारित कर लेनी चाहिए, जिसे वह फसल के साथ वसूल कर सकता है, तथा अपने प्रस्ताव आयुक्त को रिपोर्ट कर देना चाहिए।

(सी)इस रिपोर्ट को बनाते समय कलेक्टर को उस आपदा की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखना चाहिए जिसके कारण राहत दी गई थी, फसल की प्रकृति और लोगों की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

(डी)जब फसल की उपज, जिस पर निलम्बित लगान को आगे बढ़ाया गया है, सामान्य से कम हो, तो निलम्बित राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ करने की सिफारिश की जा सकती है।

(इ)[xxx] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-1-1970 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17-1-1970 द्वारा हटा दिया गया]*निरीक्षण और क्षति का अनुमान

31. फसल की स्थिति पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता।

- राजस्व अधिकारियों और विशेष रूप से कलेक्टरों और उप-विभागीय अधिकारियों का यह काम है कि वे अपने प्रभार में आने वाले क्षेत्रों में फसलों की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखें। बुवाई के समय से कटाई के समय तक मौसम और अन्य स्थितियों पर लगातार ध्यान देने से ही आवश्यक तत्परता के साथ राहत देने के लिए कार्रवाई करना संभव है। इसलिए, फसलों का निरीक्षण कटाई के समय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए या तब तक विलंबित नहीं होना चाहिए जब तक कि यह अफवाह न फैल जाए कि फसलें खराब हो गई हैं। अपने बरसात और ठंड के मौसम के दौरे के दौरान, राजस्व अधिकारियों को फसल की संभावनाओं के बारे में लगातार पूछताछ करनी चाहिए और उन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए जहाँ फसल खराब होने की संभावना है।सभी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे फसल खराब होने के मामलों की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत दें और कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदारों का यह कर्तव्य है कि वे उन मामलों में अपने अधीनस्थों से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाएं जिनमें वे स्वयं पर्याप्त विस्तृत जांच नहीं कर सकते। कलेक्टर के पाक्षिक अर्ध-सरकारी पत्रों के माध्यम से सरकार और आयुक्तों को कृषि स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। यदि व्यापक आपदा की आशंका है तो आयुक्तों को स्वयं प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

32. विशेष पूछताछ.

- जब ऐसा प्रतीत हो कि किसानों को राहत देना आवश्यक होगा, तो कलेक्टर को प्रभावित क्षेत्र का विशेष निरीक्षण करवाना चाहिए तथा जब तक कि क्षतिग्रस्त क्षेत्र बहुत छोटा न हो, उसे स्वयं उस क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए। यदि क्षेत्र बड़ा है, तो कलेक्टर के लिए स्वयं विस्तृत निरीक्षण करना सामान्यतः असंभव होगा। ऐसे मामले में भूमि अभिलेख निरीक्षकों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा विस्तृत ग्राम निरीक्षण करवाना तथा तहसीलदारों तथा उप-विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की जांच करवाना सामान्यतः समीचीन होगा। इस स्तर पर पटवारियों से रिपोर्ट नहीं मांगी जानी चाहिए। कलेक्टर को स्वयं अपने अधीनस्थों के कार्य की पर्याप्त जांच करनी चाहिए, ताकि वे फसलों की बुवाई के समय से ही उनके निरीक्षण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो सकें या इन रिपोर्टों को सही कर सकें। कलेक्टर को प्रभावित क्षेत्र के विस्तृत निरीक्षण के लिए निर्देश जारी करते समय यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वे जांच को किस सामान्य दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तथा वे किस बिंदु पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी है कि जब व्यापक क्षति हो, तो कलेक्टर संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों की एक बैठक आयोजित

करें, जिसमें क्षति की सीमा और प्रकृति के बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। प्रभावित गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार करना और एक तहसील के मानचित्रों की पड़ोसी तहसीलों के मानचित्रों से तुलना करना यह सुनिश्चित करने के लिए एक मूल्यवान जाँच है कि कोई भी क्षेत्र, जहाँ राहत आवश्यक है, छूटा नहीं है और पूरे जिले में समान सिद्धांतों पर राहत दी जाएगी।

33. खेतों का वर्गीकरण एवं हानि का अनुमान।

(1)किसानों को दी जाने वाली सहायता को व्यक्तिगत खेतों को हुए नुकसान के अनुमान के आधार पर निर्धारित करना असंभव है और ऐसा करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। नुकसान का अनुमान समग्र रूप से खेतों के वर्गों के लिए लगाया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत खेतों के लिए। इस उद्देश्य के लिए खेतों का वर्गीकरण आपदा की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए। हो सकता है कि असिंचित खेतों में नुकसान एक समान हो और सिंचित खेतों में भी नुकसान, यदि कोई हो, एक समान हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक गांव के लिए केवल सिंचित खेतों में समग्र रूप से और असिंचित खेतों में समग्र रूप से नुकसान का अनुमान लगाना आवश्यक होगा। अन्य मामलों में नुकसान फसल के अनुसार भिन्न हो सकता है। यदि ऐसा है, तो प्रत्येक गांव के लिए प्रत्येक फसल पर नुकसान का अनुमान लगाना आवश्यक होगा। न केवल फसलों के बीच, बल्कि एक ही फसल के सिंचित और असिंचित खेतों के बीच भी अंतर करना आवश्यक हो सकता है। अन्य मामलों में, जैसे ओलावृष्टि या बाढ़, गांव के केवल एक हिस्से को नुकसान हो सकता है या विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग हद तक नुकसान हो सकता है। ऐसे मामले में क्षतिग्रस्त हिस्से या अलग-अलग हद तक क्षतिग्रस्त हिस्से को गांव के नक्शे पर चिह्नित करना और ऐसे हिस्से में या ऐसे प्रत्येक हिस्से में हुए नुकसान का अनुमान लगाना आवश्यक होगा। इस मामले में ऐसे प्रत्येक हिस्से में विभिन्न फसलों के बीच अंतर करना भी आवश्यक हो सकता है। आपदा से प्रभावित प्रत्येक गांव के मामले में कलेक्टर द्वारा प्रत्येक वर्ग को हुए नुकसान के बारे में निश्चित आदेश पारित किया जाना चाहिए जिसमें उसने खेतों को विभाजित करने का आदेश दिया है। इस उद्देश्य के लिए यदि क्षतिग्रस्त क्षेत्र व्यापक है, तो आम तौर पर गांवों को समूहबद्ध करना उचित होगा। यह आवश्यक है कि नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से खेतों को किस प्रणाली पर वर्गीकृत किया जाना है, विस्तृत गणना करने का कोई प्रयास करने से पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा वर्गों पर निर्णय ले लिए जाने के बाद, किसी भी निचले प्राधिकारी के पास एक ही वर्ग के खेतों के बीच नुकसान के अनुमान को अलग-अलग करने का कोई अधिकार नहीं है।

(2)अपनाए जाने वाले वर्गीकरण पर निर्णय लेते समय कलेक्टर को यह याद रखना चाहिए कि नुकसान का आकलन केवल अनुमानित ही हो सकता है तथा अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया गया वर्गीकरण अपने उद्देश्य को ही विफल कर देता है, क्योंकि इससे राहत विवरण तैयार करने में देरी होती है तथा किसानों को परेशानी होती है।

(3)नुकसान का अनुमान लगाते समय कलेक्टर को यह याद रखना चाहिए कि सामान्य फसल यानी वह फसल जो किसी मौसम में सामान्य रूप से नुकसान उठाती है, जो असाधारण रूप से अच्छा नहीं होता है, उसे आम तौर पर 12 या 13 आना फसल बताया जाता है। यह केवल उन वर्षों में होता है जब फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, तब फसल को 16 आना फसल बताया जाता है। ऐसे वर्ष अपवादस्वरूप होते हैं, सामान्य नहीं। हालांकि, निर्देशों में यह माना गया है कि सामान्य फसल 16 आना फसल है, यानी निर्देशों में नुकसान का मतलब सामान्य नुकसान से अधिक नुकसान है। जब तक सावधानी नहीं बरती जाती है, तब तक नुकसान का

अनुमान अधिक लगाया जा सकता है, खासकर उस मामले में जब नुकसान बहुत अधिक नहीं होता है।

(4)कलेक्टरों को इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों में मौजूद एक सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ़ सावधान रहें, जो किसानों द्वारा संभावित आपत्तियों के विरुद्ध एहतियात के तौर पर नुकसान का अधिक अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है। सरकार कलेक्टरों पर यह बात जोर देना चाहती है कि नुकसान के अनुमानों की वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा गहन और सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए, ताकि अतिरंजित अनुमानों और परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि को रोका जा सके।

34. "सामान्य क्षेत्र".

- यदि आपदा की प्रकृति ऐसी हो कि इससे बोया गया क्षेत्र कम हो गया हो, जैसा कि मानसून की देरी से हुई वर्षा में कमी के मामले में होता है, तो किसान को हुए नुकसान की गणना करते समय क्षेत्र में हुई इस कमी को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य सिद्धांत यह है कि जिस क्षेत्र में बुवाई नहीं हुई है, लेकिन जो आपदा के बिना बोया जा सकता था, उसे इस प्रकार माना जाता है मानो उसमें 16 आने का नुकसान हुआ हो। यह तय करना स्पष्ट रूप से अत्यंत कठिन है कि किसी विशेष वर्ष में जिन खेतों में बुवाई नहीं हुई है, उनमें से कौन से खेतों में यदि परिस्थितियाँ भिन्न होतीं तो बुवाई की जा सकती थी। दृष्टिकोण की सबसे सीधी विधि प्रत्येक जोत के बोए गए क्षेत्र की तुलना सामान्य वर्ष में जोत के बोए गए क्षेत्र से करना होगा। इसके लिए वर्ष की खतौनी की विस्तृत तुलना आवश्यक है। जिसमें आपदा सामान्य वर्ष की खतौनी से होती है जो एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। स्थानांतरित खेती वाले क्षेत्रों में भी कठिनाइयाँ आती हैं। एक कम श्रमसाध्य और त्वरित विधि यह है कि सामान्य वर्ष के साथ तुलना करके यह निर्धारित किया जाए कि जोत क्षेत्र का कितना प्रतिशत सामान्य रूप से बोया गया है, तथा यह मान लिया जाए कि यदि मौसम सामान्य रहा होता तो आपदा के वर्ष में प्रत्येक जोत का यह प्रतिशत बोया गया होता।

(2)यह कलेक्टर का काम है कि वह तय करे कि बोए गए क्षेत्र की कमी के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं और अगर ऐसा भत्ता दिया जाना है तो यह तय करे कि किस वर्ष को सामान्य माना जाना चाहिए। अगर आपदा की प्रकृति ऐसी थी कि बोए गए क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा या अगर इसका असर छोटा था, यानी 10 या 15 प्रतिशत से कम, तो कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

35. आयुक्त को प्रारंभिक रिपोर्ट।

(1)जैसे ही कलेक्टर ने आपदा की प्रकृति और सीमा तथा उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय ले लिया है, वह आयुक्त को एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें प्रभावित क्षेत्र तथा राहत की गणना के लिए उसके द्वारा अपनाए जाने वाले क्षेत्रों के वर्गीकरण के बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग को हुई क्षति का अनुमान होगा तथा जिन मामलों में क्षेत्र की कमी को ध्यान में रखना आवश्यक है, वहां कमी का अनुमान दिया जाएगा। उसे किसानों की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। कलेक्टर को मौसम की प्रगति का अनुसरण करने तथा यह जानने में सक्षम बनाने के लिए कि किसी भी मौसम में वर्षा की मात्रा वितरण के संबंध में सामान्य से कितनी भिन्न रही, वर्षामापी केन्द्रों द्वारा सामान्य वर्षा का विवरण अलग से प्रकाशित किया जाएगा तथा सभी कलेक्टरों को दिया जाएगा। जब अत्यधिक वर्षा अथवा वर्षा

की कमी के कारण राहत का प्रस्ताव किया जाता है, तो कलेक्टर को अपने प्रस्ताव बनाते समय विवरण का संदर्भ लेना चाहिए तथा अपनी रिपोर्ट में सामान्य तथा वास्तविक वर्षा के आंकड़ों की तुलना करनी चाहिए।

(2)कलेक्टर की रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि (क) प्रभावित प्रत्येक तहसील में सामान्य वर्ष में उगाई जाने वाली खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, सिंचित और शुष्क क्षेत्रों का विवरण; (ख) प्रभावित गांवों की कुल किराये की मांग; और (ग) इस स्तर पर जितना संभव हो सके, किराये की मांग में दी जाने वाली राहत का एक मोटा अनुमान। इस स्तर पर कलेक्टर के लिए यह सिफारिश करना अनावश्यक है कि प्रस्तावित राहत को छूट या निलंबन के रूप में दिया जाना चाहिए।

(3)रिपोर्ट में विस्तृत गणना शामिल करके देरी नहीं की जानी चाहिए। इसे आपदा की घटना के एक पखवाड़े के भीतर भेजा जाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में (आग से नुकसान के मामले को छोड़कर) यह खरीफ को प्रभावित करने वाली आपदा के मामले में 15 दिसंबर और रबी को प्रभावित करने वाली आपदा के मामले में 15 मई के बाद आयुक्त के पास नहीं पहुंचना चाहिए।

(4)[इस नियम के अधीन अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पूर्व, कलक्टर कृषि आपदा से प्रभावित क्षेत्र में हुई हानि या क्षति की सीमा के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से आह्वान किया जाएगा कि वे अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, उस तहसीलदार के समक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उनकी जोतें स्थित हैं, उपनियम (5) के खण्ड (ख) के अनुसार ढोल बजाकर नोटिस के प्रकाशन के तीन दिन के अन्दर दर्ज कराएं।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-5-1960 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13-5-1960 द्वारा सम्मिलित।]*

(5)ऐसी सार्वजनिक सूचना फॉर्म सीसी में होगी और प्रकाशित की जाएगी:-

(ए)उसकी एक प्रति चिपकाकर:-(मैं)इसे जारी करने वाले कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर,(ii)प्रत्येक तहसील के नोटिस बोर्ड पर, जिसके अंतर्गत कृषि आपदा से प्रभावित क्षेत्र या उसका कोई भाग स्थित है, तथा(iii)प्रत्येक गांव में किसी सार्वजनिक स्थल पर, जिसका पूरा या आंशिक भाग आपदा से प्रभावित हो; तथा

(बी)प्रत्येक गांव में ढोल बजाकर इसका प्रचार किया जाएगा।

(6)यदि तहसीलदार को कोई आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो उनका निपटारा उनके प्राप्ति के दिन ही उनके द्वारा संक्षेप में किया जाएगा और उन्हें निपटारे तथा उपनियम (4) के अधीन जारी नोटिस के प्रकाशन को दर्शाने वाली रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को यथासंभव शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाएगा, किन्तु उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक सप्ताह के बाद ढोल बजाकर नहीं।

(7)[उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट में, उस उपनियम तथा उपनियम (2) में उल्लिखित अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त, उपनियम (4) के अधीन सार्वजनिक सूचना जारी करने के तथ्य, उपनियम (5) द्वारा उपबंधित रीति से उसके प्रकाशन, उपनियम (6) के अधीन दर्ज आपत्तियां, यदि कोई हों, तथा उनके निपटान की रीति का भी उल्लेख होना चाहिए।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-5-1960 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13-5-1960 द्वारा सम्मिलित।]*

36. कलेक्टर की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कमिश्नर के आदेश।

- जैसे ही आयुक्त को पिछले पैराग्राफ के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसे कलेक्टर की रिपोर्ट और उस पर अपनी सिफारिशों की एक प्रति सरकार को सूचना के लिए भेजनी चाहिए। यह आवश्यक है कि आयुक्त कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत खेतों की श्रेणियों के नुकसान के अनुमानों को अनुमोदित या संशोधित करते हुए स्पष्ट रिपोर्ट बनाए। यह देखना आयुक्त का कर्तव्य है कि पर्याप्त, लेकिन अत्यधिक नहीं, राहत दी जाए। आयुक्त को यह देखना चाहिए कि सरकार को प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रस्ताव उनके कार्यालय में एक सप्ताह से अधिक समय तक रोके न रहें।राहत विवरण की तैयारी

37. खसरा एवं राहत खतौनी में हानि की प्रविष्टि।

- जैसे ही कलेक्टर ने आपदा की प्रकृति और सीमा तथा उससे निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर निर्णय ले लिया है, वह सरकार के आदेश प्राप्त होने पर राहत विवरण तैयार करने के लिए आदेश जारी करेगा। आपदा से प्रभावित गांवों के पटवारियों को तहसील में बुलाया जाना चाहिए तथा बहुत विशेष मामलों को छोड़कर, उनके विवरण तैयार होने तक उन्हें तहसील में ही रहना चाहिए। इन विवरणों को तैयार करने में पहला कदम प्रत्येक खेत के सामने वाले खसरे के टिप्पणी कॉलम में नियम 33 के तहत पारित आदेश के अनुसार उस खेत में फसल को प्रति रुपए आने में हुई अनुमानित क्षति दर्ज करना है। साथ ही "समतुल्य कुल हानि" का क्षेत्रफल भी गणना करके टिप्पणी कॉलम में दर्ज किया जाएगा। यह बोए गए क्षेत्र पर हुए नुकसान का एक माप है जिसे क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार यदि दो एकड़ के बोए गए क्षेत्र में रुपए में 10 आने का नुकसान हुआ है तो इसे ¾ एकड़ बिना क्षतिग्रस्त फसल और 1¼ एकड़ कुल हानि के बराबर माना जाता है। 1¼ एकड़ का यह क्षेत्र समतुल्य कुल नुकसान का क्षेत्र है। इन प्रविष्टियों की पर्याप्त संख्या की जाँच भूमि अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कलेक्टर के आदेशों का पालन किया जा रहा है। खसरे में निहित जानकारी आम तौर पर ऐसा करने में सक्षम होगी, लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ गाँव के केवल कुछ हिस्से ओलावृष्टि, बाढ़ आदि से क्षतिग्रस्त हुए हैं, मानचित्र का संदर्भ आवश्यक होगा।

38. निश्चित नकद किराया देने वाले किरायेदारों की जोतों में राहत की गणना।

(1)अगला चरण नीचे दिए गए फॉर्म में राहत खतौनी तैयार करना है। राहत खतौनी का उद्देश्य किराए में राहत की गणना करने में सक्षम बनाना है। इस गणना में पहला चरण राहत खतौनी के कॉलम 5 में प्रत्येक क्षेत्र में समतुल्य कुल हानि के क्षेत्र को स्थानांतरित करना है और प्रत्येक होल्डिंग के लिए इस कॉलम को जोड़ना है ताकि होल्डिंग में समतुल्य कुल हानि का क्षेत्र प्राप्त हो सके।जोत के कुल बोए गए क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कॉलम 4 का भी योग किया जाता है। यदि क्षेत्र की कमी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो जोत द्वारा कुल नुकसान के बराबर इस क्षेत्र की तुलना उस जोत के क्षेत्र से करके प्रति रुपया आने में व्यक्त किया जाता है जिस पर आपदा के मौसम में खेती की गई थी। इसे सामान्य उपज के प्रति रुपया आने में मापा गया नुकसान माना जाता है। निश्चित नकद किराए के मामले में सीजन की पूरी किराया मांग कॉलम 10 में दर्ज की जाती है और फिर पैराग्राफ 3 में दिए गए पैमाने को लागू करके सीजन में देय वास्तविक किराया निकाला जाता है और कॉलम 11 में दर्ज किया जाता है।राहत खतौनी

ारण	कृषक का	खेत का	बोया	समतुल्य	मौसम	क्षेत्र	कमी वाले क्षेत्र का कुल	प्रति	सीज़न	सीज़न में	टिप्प

नी में ंक	नाम और माता-पिता का नाम	खसरा नंबर	गया क्षेत्र	कुल हानि का क्षेत्र	का सामान्य क्षेत्र	की कमी	योग और क्षेत्रफलसमतुल्य कुल हानि	रुपया आने में घाटा	की किराये की मांग	देय किराया	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

39. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों की जांच।

- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खसरे में समतुल्य कुल हानि की प्रविष्टियों तथा खतौनी में की गई प्रविष्टियों और गणनाओं की गहन और पूर्ण जांच की जानी चाहिए क्योंकि वे वास्तविक राहत राशि का आधार बनती हैं। जबकि भूमि अभिलेख निरीक्षक प्रविष्टियों और गणनाओं की सटीकता के लिए तत्काल जिम्मेदार होगा, कलेक्टरों को तहसीलदार और नायब-तहसीलदार द्वारा जांच का उपयुक्त प्रतिशत भी निर्धारित करना चाहिए। उप-विभागीय अधिकारी को यह देखना चाहिए कि तहसीलदार और अन्य अधीनस्थों द्वारा की गई जांच वास्तविक और प्रभावी है।

40. राहत खतौनी एकसमान क्षति के कुछ मामलों में वितरित की जा सकती है।

यदि किसी गांव की सभी फसलों को एक समान क्षति पहुंची हो तो राहत खतौनी तैयार करना अनावश्यक है, क्योंकि दी जाने वाली राहत की गणना नियम 29 में दी गई तालिका से सीधे की जा सकती है, किन्तु असिंचित क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे मामले कम ही सामने आते हैं, जब क्षति बाढ़ के कारण हुई हो:[परन्तु उन मामलों में कोई राहत खतौनी तैयार नहीं की जाएगी जहां नियम 27 के अधीन स्वतः छूट दी जानी है।] *[अधिसूचना दिनांक 17-1-1970 द्वारा जोड़ा गया, जो राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-1-1970 में प्रकाशित हुई।]*

41. उप-किरायेदारों को राहत।

- यदि उप-किराएदारों का क्षेत्र बड़ा है, तो उप-किराएदारों को भी उसी अनुपात में राहत दी जा सकेगी, जैसी कि मुख्य काश्तकार को दी जाती है।

41ए. [फसल की विफलता के कारण निलम्बित लगान आपदा की अवधि के पश्चात् अच्छे वर्ष में एक बार में दो वर्ष से अधिक के लिए वसूल नहीं किया जाएगा, जिसमें अच्छे वर्ष का भू-राजस्व भी शामिल है।] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-1-1970 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17-1-1970 द्वारा जोड़ा गया।]***

अध्याय VII
अधिनियम की धारा 137 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

42. रसीद बुक एवं तहसीलदार का उत्तरदायित्व।

- तहसीलदार, सरकारी मुद्रणालय द्वारा आपूर्ति की गई रसीद पुस्तकों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा भूमिधारकों को बिक्री के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें काउंटरफॉयल (प्रपत्र 'घ') शामिल है (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है) *[अ. अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जी.आर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, चतुर्थ-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित]* तथा निर्धारित प्ररूप में प्राप्तियों और बिक्री का लेखा रखने के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह भी देखेगा कि उसके पास उपलब्ध पुस्तकों का स्टॉक उसकी तहसील

की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय पर्याप्त है, उनके लिए मांगपत्र समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बलपूर्वक मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं, मुद्रणालय से प्राप्त सभी प्राप्तियां तथा भूमिधारकों को की गई बिक्री इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में तुरन्त दर्ज की जाती है, तथा प्राप्ति और बिक्री की सभी प्रविष्टियां उस दिन की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाती हैं जिस दिन उन्हें दर्ज किया जाता है।

43. खाते का प्रारूप।

पुस्तकों की प्राप्ति एवं बिक्री का लेखा निम्नलिखित प्रपत्र में रजिस्टर में रखा जाएगा:-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 137 द्वारा निर्धारित प्राप्ति पुस्तकों का लेखा रजिस्टर।

प्राप्ति की तिथि	पुस्तक क्रमांक सहित प्राप्त पुस्तकों की संख्या	प्रति पुस्तक दो आने की दर से प्राप्त पुस्तकों का मूल्य	तहसीलदार के हस्ताक्षर	बिक्री की तारीख	जिस व्यक्ति को बेचा गया उसका नाम और पताया उस व्यक्ति का जिसकी ओर से खरीदारी की गई है	पुस्तक संख्या के साथ बेची गई पुस्तकों की संख्या	कीमत	क्रेता के हस्ताक्षर	बिक्री की राजकोष करने की तिथिचाल संख्या के आगे बढ़ें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

44.

[xxx] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा छोड़ा गया।]*

अध्याय VIII
अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

45. कब किरायेदार खाते का विवरण [प्राप्त कर सकता है] *[अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृष्ठ 19 में प्रकाशित।*]

- एक किरायेदार अपनी *जोत या जोतों के किराये* और सायर के लेखे का विवरण किसी भी वर्ष की पहली जून से पहली सितम्बर के बीच ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

46. [मांग के साथ शुल्क.- ऐसी मांग काश्तकार द्वारा लिखित या मौखिक अनुरोध द्वारा की जा सकेगी और ऐसे अनुरोध के साथ 25 पैसे का शुल्क देना होगा और यदि काश्तकार चाहता है कि लेखा विवरण डाक द्वारा भेजा जाए तो डाक व्यय और डाक प्रमाण पत्र के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि का भुगतान उसे या तो व्यक्तिगत रूप से भूमिधारक को सौंपकर या मनीऑर्डर द्वारा राशि भेजकर करना होगा। भूमिधारक प्राप्त राशि के लिए काश्तकार को रसीद देगा।] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-C(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमेरिकी*

अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।]

47. भू-धारक को लेखा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

- शुल्क प्राप्त होने के एक माह के भीतर, भूमि-धारक फार्म ई में किरायेदार को लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा और किरायेदार द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करेगा, यदि किरायेदार ने डाक व्यय और डाक प्रमाण पत्र का भुगतान कर दिया है, तो लेखा डाक द्वारा भेजेगा और डाक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

अध्याय IX
अधिनियम की धारा 148-149 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

48. फसलों का विभाजन अनुमान या मूल्यांकन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाने वाला अधिकारी।

अधिनियम की धारा 149 के अन्तर्गत विभाजन, आकलन या मूल्यांकन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाने वाला अधिकारी सामान्यतः भूमि अभिलेख निरीक्षक होगा।

49. शुल्क.

- प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदक को एक रूपये का शुल्क जमा करना होगा।

अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अध्याय X
नियम

50.

[xxx] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा छोड़ा गया।]*

51. वह क्षेत्र जिससे आवेदन संबंधित होगा।

- अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में किराए के बकाया की वसूली के लिए कलेक्टर को किया जाने वाला आवेदन किसी गांव से बड़े क्षेत्र से संबंधित नहीं होगा। प्रत्येक गांव या उसके भाग के लिए एक विशिष्ट आवेदन होगा।

52. आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली सूची।

- प्रत्येक आवेदन के साथ दो प्रतियों में सूची संलग्न की जाएगी, जिसमें इन नियमों के साथ संलग्न फार्म एफ में उस फार्म के कॉलम 1 से 6 में निर्दिष्ट विवरण दर्शाया जाएगा, जो उस गांव के प्रत्येक चूककर्ता के लिए होगा, जिसके विरुद्ध आवेदन में कार्यवाही की जानी है। यदि कोई चूककर्ता एक से अधिक जोतों के संबंध में बकाया है, तो ऐसी प्रत्येक जोत को अलग से दर्शाया जाएगा।

53. आवेदन के साथ रसीद बुक प्रस्तुत की जाएगी।

- आवेदक को अपने आवेदन के साथ अधिनियम की धारा 137 के प्रावधानों के तहत मुद्रित एक या अधिक रसीद पुस्तिकाएं प्रस्तुत करनी होंगी, जिनमें बकाया राशि वसूल करने वाले अधिकारी के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में रसीद फार्म और प्रतिपर्ण होंगे।

54. आवेदन का सत्यापन।

- आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता (V सन् 1908) के आदेश VI के नियम 15 के अनुसार अभिवचन के रूप में सत्यापित किया जाएगा।

55. आवेदन कैसे व्यवहार किया जाता है।

- आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उसे तुरन्त एक फाइल के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके साथ अनुक्रमणिका और आदेश पत्र संलग्न होगा।

56. कलेक्टर द्वारा सूची की जांच।

- कलेक्टर भूमि-धारक या पटवारी द्वारा रखे गए लगान की वसूली से संबंधित अभिलेख की जांच करके या किसी अन्य उपयुक्त विधि से सूचियों की जांच करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि दावा की गई राशि देय है और सूचियों में ऐसे संशोधन कर सकता है जो आवश्यक प्रतीत हों। कलेक्टर यह भी देखेगा कि कॉलम 5 में ब्याज के कारण दावे की गणना अधिनियम द्वारा निर्धारित दर (एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज) पर सही ढंग से की गई है। कॉलम 3-6 में प्रविष्टियों की जांच करने और उनमें ऐसे परिवर्तन करने के बाद जो आवश्यक हो सकते हैं, कलेक्टर कॉलम 7 में वसूली के लिए उसके द्वारा पारित राशि दर्ज करेगा।

57. संग्रहण हेतु एजेन्सी।

- तत्पश्चात् कलेक्टर रसीद-पुस्तकों सहित सूचियां तहसीलदार को भेजेगा, जो या तो स्वयं बकाया वसूल करेगा अथवा यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को सौंपेगा, जो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक होगा। बकाया राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जाएगी /

58. अतिरिक्त कर्मचारी.

- कलेक्टर कर वसूली के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं।

59. अतिरिक्त कर्मचारियों की लागत की सीमा तय की जाए।

- नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों की लागत सामान्यतः मांग के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा किसी भी स्थिति में यह मांग के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

60. रसीद जारी की जाएगी।

बकाया राशि की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी, नियम 53 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मुद्रित पुस्तक या पुस्तकों से प्रत्येक चूककर्ता को उससे वसूली गई राशि की रसीद देगा।

61. वसूले गए बकाया का निपटान कैसे किया जाएगा।

- जिस तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने वसूली की है, यदि आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो तो वह इन नियमों के अधीन उसके द्वारा वसूल की गई कोई राशि उसकी लिखित रसीद पर उसे सौंप सकता है। यदि आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित

नहीं हो या वसूल की गई राशि लेने के लिए सहमत न हो या यदि वसूली तहसीलदार या नायब तहसीलदार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है तो वसूल की गई राशि आवेदक को देय तहसीलदार के न्यायालय की राजस्व न्यायालय जमा के रूप में खजाने में जमा की जाएगी और अपेक्षित चालान फाइल के साथ संलग्न किया जाएगा [आवेदक को अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व धारा 160 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा नियत वसूली लागत काट ली जाएगी और नियम 52 के अधीन प्ररूप 'च' में सूची की एक प्रति आवेदक को सभी स्तंभों सहित दी जाएगी।] *[अधिसूचना सं. एफ. 5(7) राजस्व/ग्र. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]*

62. भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज किया जाएगा।

- जब कभी कोई राशि आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को दी जाती है या न्यायालय में जमा की जाती है, तो इस आशय की प्रविष्टि, आदाता के नाम और राशि के साथ, रोकड़ बही (प्रपत्र जी) में दर्ज की जाएगी तथा तहसीलदार द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

63. [प्राप्ति की सूचना] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।]***

- लेखाकार फॉर्म एच में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें समय-समय पर वसूल की गई सभी राशियों को दर्ज किया जाएगा। ऐसी सभी वसूलियों की सूचना तहसीलदार को दी जाएगी।

64. [लेखाओं की तुलना] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमरीकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।]***

- संग्रहण करने वाला अधिकारी, तहसील में अपने अगले दौरे पर या उसके बाद यथाशीघ्र, अपनी रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों की तुलना लेखाकार द्वारा रखे गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से करेगा।

अध्याय XI
अधिनियम की धारा 180 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

65. खुदकाश्त एवं गैर खातेदार काश्तकारों या उप-काश्तकारों को बेदखल करने की प्रक्रिया [अधिनियम की धारा 180(2) के अन्तर्गत] ***[अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]***

- कार्यवाही में [अधिनियम की धारा 180(2) के अंतर्गत,] *[अधिसूचना संख्या एफ 5(7) राजस्व/जीआर 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित।]* जहां एक से अधिक काश्तकार या उप-काश्तकार हैं, जिनकी बेदखली के लिए भू-स्वामी द्वारा आवेदन किया गया है या जहां काश्तकार या उप-काश्तकार द्वारा धारित क्षेत्र उस क्षेत्र से अधिक है, जहां से धारा 180 के खंड

(घ) के अंतर्गत बेदखली की मांग की जा सकती है, न्यायालय बेदखली का आदेश देते समय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा:-

(ए)यदि भू-स्वामी की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक क्षेत्रफल रखने वाले काश्तकारों या उप-काश्तकारों द्वारा धारित क्षेत्रफल से की जा सकती है, तो निर्धारित न्यूनतम से कम क्षेत्रफल रखने वाले काश्तकारों या उप-काश्तकारों को छूट दी जाएगी, तथा शेष के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(बी)अन्य बातें समान होने पर, यदि किसी किरायेदार ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपनी जमीन को, पूरी तरह या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, उप-किराए पर दिया है, तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा।

(सी)यदि उप-खण्ड (क) और (ख) में दिए अनुसार भूमि-धारक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, तो वह भूमि, जो भूमि-धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर निर्मित किए गए राजमिस्त्री कुएं की जाव बनाती है, चाहे वह खुदकाश्त या गैर खातेदार काश्तकार के पास हो, के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(डी)उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित बेदखली की मात्रा को, जहां तक संभव हो, संबंधित काश्तकारों या उप-काश्तकारों पर समान रूप से तथा निष्पक्ष रूप से वितरित किया जाएगा; प्रत्येक जोत के आकार और मूल्य तथा उसमें सम्मिलित भूमि की विभिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए।(इ)वह क्षेत्र, जहां से किसी किरायेदार या उप-किरायेदार को बेदखल किया जाना है, जहां तक संभव हो, इस प्रकार चुना जाएगा कि शेष भूमि, यदि कोई हो, एक सघन खंड के रूप में बची रहे।

66. [अधिनियम की धारा 180 के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम क्षेत्र का निर्धारण.- अधिनियम की धारा 180 के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम क्षेत्र वे होंगे, जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दर्शाए गए हैं और जहां क्षेत्रों में सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि शामिल है, वहां न्यूनतम क्षेत्र की गणना के लिए तीन एकड़ असिंचित भूमि, एक एकड़ सिंचित भूमि के समतुल्य समझी जाएगी।] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 25-10-1956 में प्रकाशित, दिनांक 8-10-1956 की अमरीकी अधिसूचना द्वारा सम्मिलित।]***

67. [धारा 183-बी के तहत अतिचारी की संक्षिप्त बेदखली के लिए जांच।- धारा 183बी के तहत आवेदन पर जांच, जहां तक संभव हो, आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। धारा 183बी की उपधारा (1) के तहत आवेदन फॉर्म एच में होगा।] ***[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 25-10-1956 में प्रकाशित, दिनांक 8-10-1956 की अमेरिकी अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया।]***

[अध्याय XII] *[अधिसूचना संख्या जीएसआर 184, दिनांक 16.3.2012 द्वारा जोड़ा गया (17.12.1955 से प्रभावी)]*अधिनियम की धारा 251-ए के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम

68. धारा 251-ए के अंतर्गत आवेदन.- अधिनियम की धारा 251-ए की उपधारा (1) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रपत्र 1 में होगा।

69. आवेदन की जांच और निपटान।- प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप-विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उप-विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, यदि संतुष्ट हो जाता है कि-

(मैं)आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आनंद के लिए नहीं है; तथा (ii)विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नए रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है। आवेदन की तारीख से 90 दिनों के भीतर उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।

70. मुआवजे का निर्धारण.- (1) अधिनियम की धारा 251-ए की उपधारा (1) के अंतर्गत देय मुआवजे की राशि निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी:-

(मैं)यदि पक्षकार आपसी सहमति से मुआवजे की राशि पर सहमत हो जाते हैं तो उप-मंडल अधिकारी आपसी सहमति के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा।(ii)यदि पक्षकार मुआवजे की राशि पर परस्पर सहमत नहीं होते हैं, तो उप-विभागीय अधिकारी भूमि के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, जो कि निम्नलिखित के बराबर होगी-(ए)नये मार्ग या विद्यमान मार्ग के विस्तार या चौड़ाईकरण के मामले में, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (घ) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों का दो गुना या राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दो गुना; तथा(बी)भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों का 10% या राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों का 10%।

(2)उपनियम जे (1) के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, यदि खड़े वृक्षों, फसलों या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या क्षति होती है, तो वास्तविक हानि या क्षति की राशि भी अवधारित की जाएगी।फॉर्म 1[नियम 681 देखें]राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए की उपधारा (1) के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदनको,उप-विभागीय अधिकारी उप-विभाग .....जिला .....महोदय,(1)मैं/हम आपके उपखंड में भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हूं/हैं और मैं/हमारे खाते में सिंचाई/पहुंच के प्रयोजनार्थ ..... के खाते से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने/नया रास्ता/मौजूदा रास्ते का विस्तार या चौड़ीकरण करने का इरादा रखता/रखते हैं और इसलिए मैं/हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251-ए की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन करता/करते हैं।(2)आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:(मैं)आवेदक(ओं) का नाम, माता-पिता और आयु;(ii)आवेदक(ओं) का पूरा पता;(iii)आवेदक की होल्डिंग का विवरण;(ए)गांव का नाम तथा उप-विभाग का नाम जिसमें जोत स्थित है.....(बी)खसरा संख्या, क्षेत्रफल (एकड़/बीघा में) .....(चतुर्थ)किसी अन्य खातेदार की जोत का विवरण जिसके माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने/नया रास्ता

बनाने/मौजूदा रास्ते का विस्तार या चौड़ीकरण करने की योजना है।(ए)नाम, माता-पिता और आयु;(बी)पूरा पता;(सी)गांव का नाम तथा उप-विभाग का नाम जिसमें जोत स्थित है;(डी)एकड़/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा संख्या।आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर[अनुसूची] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 3-4-1958 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17-1-1958 द्वारा प्रतिस्थापित।]*

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम
1	2	3
1.	बीकानेर	बीकानेर, लूणकरणसर, मगरा, नोखा
2.	चुरू	राजगढ़, रतनगढ़,सुजानगढ़ तारानगर, डूंगरगढ़, सरदारशहर
3.	गंगानगर	गंगानगर, करणपुर, पदमपुर,रायसिंहनगर,अनूपगढ़हनुमानगढ़,नोहर,भादरा, सूरतगढ़,
50		
4.	अलवर	अलवर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़थानागाजी, बहरोड़, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा, बानसूर
5.	भरतपुर	कामा, डीग, नगर, बयाना, रूपवास,वियर, भरतपुर नदबई[xxx] *[अधिसूचना दिनांक 5-10-1989 द्वारा हटा दी गई, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी)(I) दिनांक 14-5-1992 पृ. 172 में प्रकाशित।]*
5ए. [] *[अधिसूचना दिनांक 5-10-1989 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी)(आई) दिनांक 14-5-1992 पृ. 172 में प्रकाशित।]*	धौलपुर	बारीगिर्ड(धौलपुर)राजाखेड़ाबसेड़ी
6. [] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी) दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]*	जयपुर	जमवारामगढ़, चाकसू, अराईं, फागी,दूदू, बैराहा, कोटपूतली, किशनगढ़ सरवर, आमेर, जयपुर,बस्सी, सांगानेर, रूपनगरफुलेरा
6ए. [] *[अधिसूचना*	दौसा	दौसा, बसवा, बांदीकुईलालसोट,सिकराय

दिनांक 21-1-1992 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी), दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]		
6बी. [] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा पुनः संख्यांकित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी) दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]*	ऐमर	अजमेर, केकड़ी और ब्यावर
7.	झुंझुनू	खेरीउदयपुरवाटी, चिड़ावा,झुंझुनू
8.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर, हिंडौन, महवा, टोडाभीम,बामनवास, नादौती, बोंली (मलाराणा चौर) सवाई माधोपुरकरौली,सपोटरा, खंडार
9.	सीकर	नीम-का-थाना, श्रीमाधोपुर,दांतारामगढ़, सीकर, फ़तेहपुर लक्ष्मणगढ़
10.	टोंक	टोंक, मालपुरा, टोडारायसिंह, दूनी,उनियारा, नेवाई
11।	बाड़मेर	सिवाना पचपदरा बाड़मेर,चोहटन, शीओ
12.	जैसलमेर	पोकरणजैसलमेर, फतेहगढ़,नचनारामगढ़, साम
13.	जालौर	जालोर, आहोर, जसवन्तपुरा, सांचौर
14.	जोधपुर	बिलाड़ाजोधपुर शेरगढ़,ओसियां, फलोदी
15.	नागोर	डिगाना, परबतसर,नवामेड़ताडीडवाना, लाडनूं, जायलनागौर
16.	पाली	बाली, देसूरीजैतारणरायपुर,खरेची (मारवाड़), सोजत, पाली
17.	सिरोही	सिरोही, रेवदर, शिवगंज[आबूरोडपिण्डवाड़ा] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी) दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]*
18.	बूंदी	बूंदी, पाटन, तालेड़ा, हिण्डोली, नैनवा
19.	झालावाड़	अकलेरा, बकानी, मनोहर थाना, पिरावा [सुनेल क्षेत्र सहित] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी), दिनांक 19-3-1992, पृष्ठ में प्रकाशित। 300.]* खानपुर, गंगधार, पचपहाड़, झालरापाटण, दग
20. [] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा सम्मिलित,*	बरन	बारां, मांगरोल, छबड़ा, अटरू,छीपाबड़ौदशाहबाद, किशनगढ़

राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी), दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]		
20ए.	कोटा	लाडपुरा, दीगोदपीपल्दा, रामगंजमंडी सांगोद
21.	भीलवाड़ा	मंडल, रायपुर, शहादा,आसींद बनेड़ा, भीलवाड़ा, हुरड़ा, कोटड़ी, शाहपुरा, मांडलगढ़,जहाजपुर
22.	चित्तौड़गढ़	बेगूं, चित्तौड़गढ़, गंगरार, कपासन,राशमी, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी भदेसर, डूंगला, कनेरा,नीमबाहेड़ा, प्रतापगढ़, अछनेरा, [भूपाल सागर, भेंसरोड़गढ़] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा प्रविष्ट, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी), दिनांक 19-3-1992, पृष्ठ में प्रकाशित। 300.]*
23.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा, गढ़ी, घाटोल, बागीदौरा,कुशलगढ़
24. [] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी) दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]*	राजसमंद	नाथद्वारा, रेलमगरा,राजसमंदकुंभलगढ़आमेट, भीम, देवगढ़
24ए. [] *[अमरीकी अधिसूचना संख्या 26 द्वारा सम्मिलित]*	उदयपुर	सलूम्बर, खेरवाड़ा,सारदावल्लभनगरधरियावदमावली,गिर्वागोगुंदाझाडोल, कोटड़ा
25.	डूंगरपुर	आसपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा

[प्रपत्र ए] *[अधिसूचना दिनांक 21-1-1992 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी), दिनांक 19-3-1992, पृ. 300 में प्रकाशित।]*[नियम 7ए देखें]राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15एएए की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदनमहोदय,मैं, ... पुत्र ..... उम्र ..... गांव ..... तहसील ..... जिला ..... का निवासी हूँ, तथा निम्नवत बताना चाहता हूँ -

1. यह कि मुझे ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... संवत ..... से वर्ष ..... तक स्थित खसरा संख्या ..... क्षेत्र ..... का गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया है।

वर्ष संवत 2011 से 2014 अथवा 2012 से 2015 की जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

2. यह कि उपर्युक्त भूमि आज तक मेरे कब्जे में है।

3. यह कि मैं उपर्युक्त भूमि के लिए नियमित रूप से किराया/राजस्व का भुगतान करता रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से उस पर खेती करता रहा हूं।

4. यह कि मैंने उपर्युक्त भूमि का कोई भी भाग किसी भी व्यक्ति को, जब से यह मुझे आवंटित की गई है, कभी भी हस्तांतरित नहीं किया है।

[5. यह कि मैं चालान संख्या ..... दिनांक ..... की प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसके अनुसार मैंने आरक्षित मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15एएए की उपधारा (3) के अन्तर्गत मेरे द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, जो कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 27, 1954) की धारा 28 के साथ पठित धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर है, जो कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ की तिथि को लागू है।[6. यह कि मैं आरक्षित मूल्य की शेष राशि को प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को समान किस्तों में भुगतान करने के लिए तैयार हूं, जब तक कि संपूर्ण आरक्षित मूल्य मुझे भुगतान नहीं कर दिया जाता।

7. मेरे परिवार के सदस्य निम्नलिखित हैं:-

नाम	आवेदन की तिथि पर आयु
1	2

8. निम्नलिखित स्थानों पर निम्नलिखित भूमि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के नाम पर है:-

क्र. सं.	भूमि पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति का नाम	गांव, तहसील, जिला और राज्य जहां भूमि हैस्थित है	खसरा संख्या	क्षेत्र	सि ह
1	2	3	4	5	6

9. यह कि मैं यह आवेदन अधिनियम की धारा 15एएए की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

10. इस न्यायालय को इस आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है।

11. वह आवेदन पचास पैसे की न्यायालय फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि मुझे उपरोक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाएं।आपका विश्वासी।आवेदक के हस्ताक्षरदिनांकित :* यदि लागू न हो तो काट दें।सत्यापनमैं ..... पुत्र ..... निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र के पैरा मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं तथा मैंने कोई सुसंगत तथ्य नहीं दबाया या छुपाया है।आवेदक के हस्ताक्षर][प्रपत्र एए] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा सम्मिलित।]*[नियम 8ए देखें]राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 की उपधारा (2) तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 8ए के अंतर्गत आवेदन।को

Theतहसीलदार	गाँवपंचायत
तहसील….....	गाँव ….....

	तहसील.....

महोदयमैं, एबी पुत्र सीडी उम्र ..... वर्ष निवासी ..... गांव तहसील ..... बताना चाहता हूँ कि:-(1)मैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत कृषि श्रमिक/कारीगर हूँ, तथा .....गांव में कृषि श्रमिक/कारीगर अर्थात लोहार, बढ़ई, मोची, कुम्हार, बुनकर के रूप में कार्य करता रहा हूँ।(2)कि मैं ..... वर्ष से ..... गांव (तहसील .....) की आबादी में स्थायी रूप से निवास कर रहा हूं; तथा(3)कि मेरे पास गांव की आबादी में कोई मकान नहीं है।

2. अतः मैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 की उपधारा (2) तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 8ए के अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु स्थल के लिए आवेदन करता हूँ।

3. आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(i) कृषि श्रमिक के मामले में, श्रमिक का नामवह व्यक्ति/व्यक्तियाँ जिनके क्षेत्र/क्षेत्रों में आवेदक काम कर रहा हैपिछले द वर्षों के दौरान कृषि मजदूर
(ii) कारीगर के मामले में, कारीगर के कार्य की सटीक प्रकृतिपेशे जैसे लोहार, बढ़ई, मोची, बुनकर आदिऔर उस गांव क नाम जहां आवेदक है, निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।पिछले दस वर्षों से इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जिनका उल्लेख किया ज आवश्यक है:-
(iii) गांव का नाम (तहसील का नाम सहित) जिसमेंआवेदक पिछले दस वर्षों से स्थायी रूप से निवास कर रहा हो याअधि
(iv) उन व्यक्तियों के नाम, माता-पिता का नाम और पूरा पता जोआवेदक के स्थायी रूप से वहां निवास करने की गवाही
(v) निर्माण की प्रकृति अर्थात पक्का मकान, कच्चा मकान,पटोरे, एकढलिया आदि।
(vi) इलाके का नाम, आवेदन की गई भूमि का मापइसकी सीमाएं.

आपका विश्वासी।हस्ताक्षरित.मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं, और मैंने सत्य कहा है तथा किसी भी प्रासंगिक तथ्य को नहीं छिपाया या छिपाया है।

साक्षी – 12		हस्ताक्षर .....दिनांक……

* जो लागू न हो उसे काट दें[फॉर्म एएए] *[सं. एफ. 5(8) राजस्व/जीआर. IV/84/34, दिनांक 24-7-1984, राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 26-7-1984, पृष्ठ 75 में प्रकाशित द्वारा पुनः शीर्षक।*[नियम 10 देखें]आवासीय स्थल के लिए आवेदन पर सूचनाएतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ..... पुत्र ..... जाति ..... निवासी ..... जो स्वयं को कृषि श्रमिक/कारीगर होने का दावा करता है तथा वर्षों से गांव में स्थाई रूप से निवास कर रहा है/एक काश्तकार ने ..... वर्ग गज भूमि, जो उत्तर में ....., पूर्व में ....., दक्षिण में ..... और पश्चिम में ..... से घिरी हुई है, को *पक्के मकान/कच्चे मकान/पटोरे, एकढलिया/नोहरा बाड़ा* के निर्माण हेतु स्थल के रूप में आबंटन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भूमि के अनुदान पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इसकी सूचना इस नोटिस के प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर गांव के पटवारी या सीधे नीचे हस्ताक्षरकर्ता को दे, उसके बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया

जाएगा।.....(तहसीलदार)दिनांकित* जो लागू न हो उसे काट देंफॉर्म बी[नियम 11 देखें]पटवारी की रिपोर्टमामला संख्या 19.आवास स्थल के आवंटन के लिए आवेदन।आवेदक का नाम .....दिनांक ..... की सूचना गांव में ढोल बजाकर प्रकाशित की गई तथा गांव की चौपाल और आवेदित भूमि पर चिपका दी गई।गवाह.पटवारी, पटेल या लंबरदार के हस्ताक्षरदिनांक..... 19.निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।*अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्राप्त आपत्तियां भी यहां प्रस्तुत हैं और वे इस प्रकार हैं:-(बताया जाना है)(पटवारी)दिनांकित .....

1. गाँव और तहसील का नाम।

2. किरायेदार (आवेदक) का नाम, माता-पिता, जाति, आयु और निवास का विवरण।

3. होल्डिंग्स का विवरण।

4. आवेदक को गांव की आबादी में पहले से मकान मिला है या नहीं।

5. इलाके का नाम.

6. खसरा संख्या और खेत/खेतों का नाम/नाम।

7. भूमि की माप जिसमें लंबाई और चौड़ाई का माप फुट और इंच में दर्शाया गया हो।

उत्तरपूर्वदक्षिणपश्चिम

8. कुल क्षेत्रफल वर्ग गज और फुट में।

9. सीमा चिन्ह:-

स्थायी निशान.अर्द्ध-स्थायी निशान.

10. वह उद्देश्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है अर्थात

पक्का मकान/कच्चा मकान/पतोर/एकडलिया/नोहरा/बारा।

11. प्राप्त आपत्तियों का विवरण, यदि कोई हो

या

12. पटवारी की रिपोर्ट एवं सिफारिशें।

*जो लागू न हो उसे काट दें[प्रपत्र बी बी] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 9-11-1961 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11-10-1961 द्वारा सम्मिलित।]*[नियम 11 देखें]पटवारी की रिपोर्टमामला संख्या 19.कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारीगर द्वारा मकान-स्थल के लिए आवेदन।आवेदक का नाम.....दिनांक ..... का नोटिस गांव में ढोल बजाकर प्रकाशित किया गया तथा गांव की चौपाल और आवेदित भूमि पर चिपका दिया गया।पटवारी के हस्ताक्षरलम्बरदार के हस्ताक्षरदिनांकित.....निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।*अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।नीचे

हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्राप्त आपत्तियां भी यहां प्रस्तुत की गई हैं।(पटवारी)दिनांकित.....

1.	गाँव और तहसील का नाम.
2.	आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, आयु और निवास स्थान।
3.	क्या आवेदक को गांव में पहले से ही मकान मिल चुका हैआबादी है या नहीं.
4.	क्या आवेदक कृषि क्षेत्र में कार्यरत रहा है?कार्यकर्ता/कारीगर अर्थात लोहार, बढ़ई, मोची, कुम्हार,गांव में बुनकर अ
5.	क्या आवेदक स्थायी रूप से वहां रह रहा है?गांव की आबादी (गांव का नाम बताया जाए)दस वर्ष या उससे अधिक क लिए।
6.	इलाके का नाम.
7.	भूमि की लंबाई और चौड़ाई, आयाम दर्शाने वाले मापफुट और इंच.उत्तरपूर्वदक्षिणपश्चिम
8.	कुल क्षेत्रफल वर्ग गज और फुट में.
9.	सीमा चिन्ह.
	स्थायी निशान
	अर्द्ध-स्थायी निशान
10.	वह उद्देश्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, जैसे पक्का मकान/कच्चा मकानघर/पटोरे/एकढलिया.
11।	यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण।
12.	कोई अन्य विवरण?
13.	पटवारी की रिपोर्ट और अनुशंसा।

* जो लागू न हो उसे काट दें।फॉर्म सी[नियम 18 देखें]पट्टे या प्रतिपक्ष का प्रारूप[धारा 32 देखें]

मैं, AB/EF पुत्र CD/GH जाति ..... उम्र ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... ने IJ पुत्र MN ज भूमि पट्टे पर दी है/लीज पर ली है।

उम्र ..... निवासी ..... तहसील ..... से के.एल. जिला .....

भूमि का विवरणगांव का नाम, थोक या पट्टी का नाम (तहसील और जिले का नाम), खसरा संख्या और खेत/खेतों या सीमाओं का नाम/नाम, प्रत्येक खसरा संख्या या खेत की श्रेणी और वर्ग (धारा 21 देखें) बंदोबस्त के समय या कलेक्टर द्वारा वर्गीकृत, यदि पट्टाकर्ता या पट्टेदार को ज्ञात हो कि वह ..... वर्ग का किरायेदार है और वार्षिक किराया ..... है, जो निम्नलिखित किस्तों में और निम्नलिखित तारीखों को देय है:-( ) रूपये दिनांक .....को( ) रुपए.....दिन को( ) रुपए.....दिन कोपट्टे की अवधि ( ) अर्थात् ..... (तारीख) से ..... (तारीख) तक है।दिनांक ..... 19.हस्ताक्षरित या चिह्नित

AB भूमि धारकEF किरायेदार

साक्षी (यदि चिन्हित हो) .....टिप्पणी:- यदि लगान वस्तु के रूप में देय है, तो उपज के हिस्से का पूरा विवरण, भुगतान का तरीका अर्थात, क्या यह उपज के विभाजन के आधार पर देय है या

फसल के आकलन या मूल्यांकन के आधार पर या बोई गई फसल या कटाई या कटाई के मूल्यों के साथ बदलती दरों पर या आंशिक रूप से ऐसे किसी एक तरीके से या आंशिक रूप से किसी अन्य तरीके से या ऐसे अन्य तरीकों से देय है, दिया जाना चाहिए।[फॉर्म सीए] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 24-4-1981, पृ. 9-13 में प्रकाशित, अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(30) राजस्व/जीआर. 4/79, दिनांक 24-4-1981 द्वारा सम्मिलित।]*[नियम 24DD देखें](भाग I) (भाग II के साथ प्रस्तुत किया जाना है)को,.....(सक्षम प्राधिकारी).....मैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के खण्ड (क) के तृतीय परन्तुक के साथ राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24घघ के अधीन इस अनुरोध के साथ आवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे ..... वर्ग गज माप की भूमि ..... (नाम और पूरा पता) को .....(प्रस्तावित उपयोग पूर्ण विवरण सहित विनिर्दिष्ट करें) के प्रयोजनार्थ विक्रय/उपहार/वसीयत द्वारा विक्रय करने हेतु छूट प्रदान की जाए।

2. आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(मैं)आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम और पता।(ii)उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में अनुमति मांगी गई है।(ए)गाँव/कस्बे का नाम, तहसील का नाम सहित।(बी)खेवट/खतौनी संख्या.(सी)खसरा संख्या(संख्या)।*[(घ) मेरी जोत का कुल क्षेत्रफल।(1)सिंचित.(2)असिंचित.(3)कुल।(इ)वार्षिक भू-राजस्व.(एफ)पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि का किस प्रकार उपयोग किया गया।(iii)हस्तांतरण का स्वरूप (बिक्री, उपहार आदि)

3. यह कि भूमि जिला ..... की तहसील ..... के शहर/कस्बा/परिधि गांव/गांव ..... में स्थित है।

4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मैं उन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ जिनके आधार पर मुझे अनुरोधित छूट प्रदान की गई है।

आवेदक के हस्ताक्षरगवाह.....दिनांकित.....*पिछले तीन वर्षों की वर्तमान जमाबंदी और खसरे की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।(भाग II) (भाग I के साथ प्रस्तुत किया जाना है)को,.....(निर्धारित प्राधिकारी)ज़िला.....मैं, ... पुत्र श्री ..... निवासी ..... विक्रेता श्री ..... पुत्र श्री ..... से कृषि भूमि का टुकड़ा (टुकड़ा) खरीदने की अपनी इच्छा की पुष्टि करता हूँ और इस आधार पर, ... नियम ..... के नियम ..... के साथ पठित राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, 1956) की धारा 90 ए के अंतर्गत, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कृषि भूमि को आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ:-(मैं)आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम और पता।(ii)उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में अनुमति मांगी गई है।(ए)तहसील के नाम के साथ गांव/शहर का नाम।(बी)खेवत/खतौनी संख्या.(सी)खसरा संख्या(संख्या)।(डी)क्षेत्र।(इ)भूमि का वर्गीकरण (राजस्व अभिलेखों के अनुसार)।(iii)भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल, वर्ग गज में।(चतुर्थ)हस्तांतरण का स्वरूप (बिक्री, उपहार आदि)।(वी)भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना है, अर्थात् औद्योगिक, आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्य, तथा उसका पूरा विवरण।

2. यह कि भूमि जिला की तहसील ..... के शहर/कस्बा/परिधि गांव/गांव में स्थित है।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैं उन सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ जिनके आधार पर उपर्युक्त अनुमति प्रदान की गई है।

गवाह ….....	आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख ….....	पूर्ण स्थायी पता

[प्रपत्र [सीसी] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 26-12-1981, पृ. 340 में प्रकाशित, अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(27) राजस्व/जीआर. 4/81/58, दिनांक 26-12-1981 द्वारा सम्मिलित।]*][नियम 24घघघ देखें] *[अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा पुनःसंख्यांकित एवं संशोधित, राजस्थान राजपत्र, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. 107(3) में प्रकाशित।]*[हस्तांतरिती(यों) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है]को,.....मैं/हम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा [42बी] *[अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा पुन:संख्यांकित एवं संशोधित, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. 107(3)] के साथ पठित नियम [24डीडीडीडी] [अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा पुन:संख्यांकित एवं संशोधित, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 107(3)* के अन्तर्गत, ... वर्ग गज माप की भूमि के संबंध में विक्रय/उपहार/वसीयत को वैध घोषित करने के लिए, जो कि .....(नाम और पूरा पता) द्वारा मुझे/हमें पहले ही उपहार में/खरीदी/वसीयत की जा चुकी है और मैंने उक्त भूमि का उपयोग आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन के लिए किया है/करने का प्रयोजन रखता हूँ।

2. आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(मैं)आवेदक का पूरा नाम, माता-पिता सहित।(ii)उस भूमि का विवरण जिसके संबंध में घोषणा मांगी गई है।(ए)गांव या कस्बे का नाम, तहसील का नाम सहित।(बी)सर्वेक्षण (खसरा) संख्या (संख्याएँ) जिसका आवेदित भूमि भाग है।(सी)खसरा संख्या(ओं) का क्षेत्रफल(1)सिंचित(2)संयुक्त राष्ट्र के सिंचित(3)कुल(डी)भूमि का क्षेत्रफल जिसके लिए घोषणा मांगी गई है (वर्ग गज में)।(इ)आवेदन की गई भूमि का वार्षिक भू-राजस्व।(एफ)वह माह और वर्ष जिसमें से भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्य के लिए किया गया हो।(जी)भूमि का उपयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाना प्रस्तावित है, उसका विवरण:-.....(iii)हस्तांतरण का तरीका (बिक्री, उपहार या वसीयत), विवरण सहित.....

3. मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है, और मैं उन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ जिन पर मांगी गई घोषणा की गई है।

साक्षी (1)	आवेदक के हस्ताक्षर (नाम बड़े अक्षरों में)
साक्षी (2)	और पूरा पता.....दिनांक.....

नोट:- (1) उपरोक्त के समर्थन में वर्तमान जमाबंदी एवं खसरे की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी।(2)कृपया उपरोक्त आवेदन पत्र में उन विकल्पों को रद्द कर दें जो आपके मामले में लागू नहीं हैं।हस्तान्तरणकर्ता(ओं) का सत्यापन.- मैं/हम, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है, और मैं एतद्द्वारा उन सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ जिनके आधार पर अनुरोधित अनुमति प्रदान की गई है।

साक्षी (1)	हस्तान्तरणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर (पूरा नाम)
साक्षी (2)	और डाक पता.....तारीख.....

[प्रपत्र सी-बी1 *[अधिसूचना दिनांक 24-7-1967 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 5-10-1967 में प्रकाशित, अधिसूचना दिनांक 24-8-1995 द्वारा हटा दिया गया, राजस्थान राजपत्र, भाग 4(सी), दिनांक 6-9-1995, पृ. 107(3) में प्रकाशित।*]xxx][प्रपत्र सीआई] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, IV-सी(I) असाधारण, दिनांक 2-5-1981, पृ. 19 में प्रकाशित, अमेरिकी अधिसूचना संख्या एफ. 5(7) राजस्व/जीआर. 4/76/13, दिनांक 2-5-1981 द्वारा प्रतिस्थापित।*[नियम 24EE देखें]]

भाग I – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 84 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन।

को,तहसीलदार,.....तहसील,.....ज़िला।महोदय,मैं आपकी तहसील में भूमि पर काबिज एक खातेदार काश्तकार हूं और मैं उन वृक्षों को हटाना चाहता हूं जो मुझमें निहित हैं या मेरी संपत्ति हैं या मेरे कब्जे में हैं, और इसलिए मैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 84 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अनुमति के लिए आवेदन करता हूं।

2. आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(मैं)आवेदक का नाम, माता-पिता एवं आयु.....(ii)आवेदक का पूरा पता.....(iii)आवेदक की होल्डिंग का विवरण, अर्थात.....(ए)गांव का नाम, तहसील का नाम जिसमें जोत स्थित है .....(बी)खसरा संख्या, क्षेत्रफल (एकड़/बीघा में) .....(सी)मृदा वर्ग .....(चतुर्थ)वृक्षों का विवरण और वर्ग, यदि ज्ञात हो तो उनकी आयु, हटाए जाने वाले वृक्षों का अनुमानित वजन, गांव का नाम (तहसील का नाम) और खसरा संख्या जिसमें ऐसे वृक्ष उग रहे हैं, साथ ही उक्त खसरा संख्या की मृदा वर्ग।(वी)जिन आधारों पर अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है, जैसे -(ए)ग्राम समुदाय द्वारा या उसकी ओर से निर्माण कार्य के लिए; या(बी)खेती के विस्तार या अन्य कृषि गतिविधियों के लिए भूमि की सफाई; या(सी)किसी भी वास्तविक विद्यमान शिकायत को कम करने के लिए; या(डी)मौजूदा पेड़ सूख गए हैं और उन्हें हटाना नए पेड़ लगाने के हित में है; या(इ)ऐसे फलदार वृक्षों को हटाना जो अधिक परिपक्व हो गए हों, सड़ गए हों तथा जिनमें गिरावट आ गई हो; या(एफ)जिन पेड़ों को हटाया जाना है, वे मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रहे हैं या मिट्टी या खड़ी फसलों को

नुकसान पहुंचा रहे हैं।(छठी)अंतिम बार दी गई अनुमति की तारीख तथा उसके तहत हटाए गए पेड़ों की संख्या।

3. यदि आवेदित अनुमति प्रदान कर दी जाती है -

(मैं)मैं लकड़ी का उपयोग मेरे द्वारा बताए गए उद्देश्य के लिए तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करने का वचन देता हूं तथा मैं अनुमति की शर्तों एवं नियमों का पालन करूंगा।(ii)मैं तहसीलदार के निर्देशानुसार काटे जाने वाले प्रत्येक पेड़ के बदले में दो पेड़ लगाने और उन्हें स्थिर करने का भी वचन देता हूँ।

4. मुझे आदेश संख्या ..... दिनांक ..... के द्वारा ..... वृक्षों को हटाने की अनुमति दी गई तथा इसके बदले में मैंने अपनी जमीन पर ..... वृक्ष लगाए तथा उन्हें स्थिर किया।

आपका विश्वासी,आवेदक के हस्ताक्षरतारीख.....जगह .....

भाग II – [नियम 24F देखें]

पटवारी की रिपोर्ट

1. आवेदन प्राप्ति की तिथि

2. रिपोर्ट की तिथि

आवेदन में दिए गए विवरण सही/गलत हैं।सही विवरण निम्नानुसार हैं:-पेड़ों की हालत ..... है।(पूर्ण विवरण दिया जाना है)पटवारी के हस्ताक्षरतहसीलदार को प्रस्तुत किया गयासर्कल नं.....

भाग III – [नियम 24जी(1) देखें]

तहसीलदार/भूमि अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्टसाइट का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि किसान को वास्तव में ..... वृक्षों को हटाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए अनुमति दी जा सकती है/नहीं दी जा सकती है। प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं:-(ए)आवेदक की कुल जोत क्षेत्रफल खसरा संख्या सहित।(बी)भूमि पर खड़े पेड़ों की संख्या.(सी)हटाए जाने वाले पेड़ों की संख्या।(डी)हटाए जाने हेतु अनुशंसित वृक्षों की संख्या।(इ)उन वृक्षों को हटाने का औचित्य जिन्हें हटाने की अनुमति दी जा सकती है:(एफ)विशिष्ट कारण जिनके कारण पेड़ों को हटाना आवश्यक हो जाता है।तहसीलदार/निरीक्षक, भूमि अभिलेख के हस्ताक्षर

भाग IV – [नियम 24जी(2)(ए) देखें]

सत्यापन/तकनीकी रिपोर्टनिरीक्षण के बाद मैं सिफारिश करता हूँ कि कृषक के आवेदन में बताए अनुसार पेड़ों को हटाने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी जा सकती है/नहीं दी जा सकती है (स्पष्ट रूप से बताएं) .....रेंजर/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर।

भाग V – [नियम 24जी(2)(बी) और (सी) देखें]

कलेक्टर का आदेशअनुमति और सिफारिश पर विचार करने के बाद, मैं पेड़ों को हटाने की अनुमति को अनुमोदित/अस्वीकृत करता हूँ। क्रमांक ..... (शब्दों में) द्वारा ..... (नाम)।कलेक्टर/उपविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर।

भाग VI – [नियम 24 I देखें]

परमिट के अनुपालन के बारे में भूमि अभिलेख निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट

क्रमांक।	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	निरीक्षण की तिथि	आईएलआर का नाम	टिप्पणियों	भूमि अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

फॉर्म सी-II[नियम 24H देखें]राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 84 की उपधारा (2) के प्रावधान के अंतर्गत वृक्षों को हटाने की अनुमति।

क्र. सं.	जारी करने की तिथि	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	अनुमति की वैधता अवधि	अनुमति का विवरण	वह उद्देश्य जिसके लिए पेड़ों को हटाया जा रहा हैभूमि की निकासी की अनुमति दी गई	निय जाने संख
वृक्षों की संख्या एवं वर्ग, आयु एवं भार सहितयदि ज्ञात हो तो हटाने की अनुमति दी जाएगी	एकड़/बीघा में साफ किये जाने के लिए तैयार क्षेत्र।					
1	2	3	4	5	6	7

1. उपर्युक्त आवेदक को ऊपर वर्णित अवधि के भीतर और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) और काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24एच के प्रावधानों के अधीन पेड़ों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत किया जाता है, और आगे इस शर्त के साथ कि पेड़ों को गिराना और हटाना, खड़ी फसलों, घास या पेड़ों या पड़ोसियों की इमारतों की भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाएगा।

2. यह अनुमति राजस्व अधिकारी, वन अधिकारी या पुलिस उपनिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

दिनांक और मुहरतहसीलदार के हस्ताक्षर[प्रपत्र सी.सी.] *[राजस्थान सरकार राजपत्र, भाग IV(सी), दिनांक 19-5-1960 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13-5-1960 द्वारा सम्मिलित।]*[नियम 35 का उपनियम (5) देखें]कृषि आपदा से हुई हानि या क्षति की सार्वजनिक सूचनासभी संबंधितों के लिएकृपया ध्यान दें कि ..... [यहां कृषि आपदा की प्रकृति बताएं] ..... से प्रभावित क्षेत्र में ..... (यहां आपदा से प्रभावित क्षेत्र का संक्षेप में उल्लेख करें और उसका वर्णन करें) ..... से हुई हानि या क्षति का अनुमान नीचे दिए अनुसार लगाया गया है:-खेतों का वर्ग या गांवों का समूहहानि या क्षति की सीमायदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आकलन से असंतुष्ट है तो वह अपने गांव में इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के भीतर ढोल बजाकर उस तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में उसकी

जमीन स्थित है।पर हस्ताक्षर किएकलेक्टर.....फॉर्म डी[नियम 42][धारा 137 देखें]प्रतिपर्ण का प्रारूप और किराये की रसीद

प्रतिपर्ण	रसीद
पुस्तक सं..... पृष्ठ सं..... रसीद सं..... भू-स्वामी का नाम .....किरायेदार से प्राप्त (नाम व पिता का नाम) .....गांव का ..... थोक ..... पट्टी..... निम्नलिखित नुसार :-	पुस्तक सं..... पृष्ठ सं..... रसीद सं..... नाम.....किरायेदार से प्राप्त (न .....गाँव .....ठोको ..... पट्टी ..

तारीख	भुगतान किसके द्वारा किया गया (विवरण)	किरायेदार की जोत का विवरण	क़िस्त और वर्ष	चाहे सयार का एकाउंट किराए पर हो	चाहे पूर्ण या आंशिक भुगतान हो	प्राप्त राशि रु.	तारीख	भुगतान किसके द्वारा किया गया (विवरण)	किरायेदारों की होल्डिंग का विवरण	क़िस और वर्ष

.....भूमिधारक या एजेंट के हस्ताक्षर	.....भूमिधारक या एजेंट के हस्ताक्ष
नोट.- भारतीय दंड संहिता की धारा 135(2) के अंतर्गतराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अलग-अलग रसीदें जारी की जानी चाहिए।किराये या सयार का प्रत्येक भुगतान।	नोट.- भारतीय दंड संहिता की धारा 135(2) काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अल चाहिए।किराये या सयार का प्रत्येक भुगतान

फॉर्म ईलेखा जोखा[राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 138 तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 का नियम 47 देखें]

किरायेदार का नाम और प्रतिशत	होल्डिंग या संपत्ति का विवरण पर्याप्त हैइसे पहचानने के लिए	वार्षिक किराया या सायर	यदि कोई बकाया किराया या सायर होप्रत्येक वर्ष और फसल
			वर्ष एवं फसल
1	2	3	4
कुलकुलयोग			

दिनांक ..... 19 .	.....
(न्यायालय की मुहर)	(भूमिधारक या उसके एजेंट के हस्ताक्षर)

फॉर्म एफ[नियम 52]

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम और पता	देय किराये का बकाया	देय ब्याज	दावा की गई राशि कॉलम 4 और 5 का योग	कलेक्टर द्वारा पारित राशिवसूली
वर्ष	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
1	2	3	4	5	6

नोट:- (1) कॉलम 1 से 6 आवेदक द्वारा भरे जाएंगे।(2)कॉलम 7 से 9 कलेक्टर द्वारा भरे जाएंगे।फॉर्म जी[नियम 62]केस बुक

क्र.	फॉर्म एफ	वसूल की जाने	वसूल	प्राप्ति	दी गई	अभी भी	आवेदक या	आदाता	राजकोष में जमा

सं.	में क्रमांक सहित चूककर्ता का नाम	वाली राशि अर्थात दर्शाई गई राशिफॉर्म एफ का कॉलम 8	की गई राशि	की तिथि	रसीदों की संख्या	बकाया राशि	उसके अधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान की गई राशिएजेंट और भुगतान की तारीख तारीख राशि	का नाम	की गई राशि और जमा करने की तिथिदिनांक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फॉर्म एच[नियम 63]अकाउंटेंट द्वारा बनाए रखा गया रजिस्टर

क्र. सं.	ज़िला	गांव का नाम	थोक या पट्टी का नाम	वसूल की जाने वाली कुल राशि	वसूल की गई राशि	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

[प्रपत्र एच] *[देखें अधिसूचना दिनांक 5-10-1989, राजस्थान राजपत्र भाग 4(सी)(आई) दिनांक 14-5-1992 पृ. 172 में प्रकाशित।]*[नियम 67 देखें]को,तहसीलदार,तहसील.....ज़िला.....मैं .....(नाम तथा पदनाम) धारा 183बी के अधीन प्राधिकृत लोक सेवक हूँ, एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... जाति से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जिसकी भूमि ..... एकड़/बीघा है तथा जो राजस्व अभिलेख में ..... के रूप में वर्गीकृत है, उस पर श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... जाति से ..... द्वारा ..... से अवैध अतिक्रमण किया गया है तथा उस पर कब्जा/कब्जा किया गया है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अतिचारी द्वारा ..... प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की गई है कि कृपया कानून के प्रावधानों के अनुसार अतिचारी को तुरंत बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की जाए।हस्ताक्षरपद का नाम"तारीख :सूचनाएंअधिसूचना संख्या एफ. 6(118) राजस्व/जीआर. IV/74, दिनांक 6.12.1974, एसओ 171. - चूंकि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को [15 फरवरी 1975] तक गांवों में आवासीय घरों के लिए स्थल आवंटित करने का निर्णय लिया है। सभी गांवों में आबादी के विकास के लिए पर्याप्त खाली कृषि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसे घर स्थलों को आवंटित करने की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए, आबादी के प्रयोजनों के लिए चारागाह भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।और जबकि, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चरागाह भूमि को किसी अन्य उपयोग में नहीं लिया जाएगा;अब, इसलिए, उस नियम के अनुसरण में, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन सदस्यों या भूमिहीन कृषि श्रमिकों या कारीगरों को मुफ्त में आवासीय घरों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने के लिए आबादी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए चरागाह भूमि के परिवर्तन की अनुमति देने के लिए प्रसन्न है, उन गांवों में जहां आबादी के रूप में उपयोग के लिए कोई खाली कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसी चरागाह भूमि को तहसीलदार द्वारा पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए आबादी में परिवर्तित किया जा सकता है।चारागाह भूमि के परिवर्तन की यह अनुमति [13-1-1976] तक प्रभावी रहेगी *[अधिसूचना एसओ 246, दिनांक 31-12-1975 द्वारा पूर्ववर्ती*

*अभिव्यक्ति '26-1-1975' के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-सी (II), दिनांक 31-12-1975 में प्रकाशित हुई।]*अधिसूचना संख्या एफ 6(60) राजस्व ग्रेड IV/75, दिनांक 8.9.1975, एसओ 115. - राज्य सरकार ने सितम्बर, 1955 माह में अभियान के आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों को अलवर जिले में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है;और चूंकि अलवर जिले के सभी गांवों में आवंटन के लिए पर्याप्त खाली कृषि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती है;और जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी चरागाह भूमि को किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं बदला जाएगा, जिसके लिए लोकहित में सीमित प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो;अतः अब, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 257 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में छूट देते हुए, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटित किए जाने हेतु अलवर जिले में चारागाह भूमि के विभाजन की अनुमति प्रदान करती है। ऐसी चारागाह भूमि को कलेक्टर, अलवर द्वारा पूर्वोक्त सीमित प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी।चारागाह भूमि के परिवर्तन की यह अनुमति 1 सितम्बर, 1975 से केवल चार सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगी।[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, IV-C, दिनांक 8.9.1975 में प्रकाशित]अधिसूचना संख्या एफ 6(60) राजस्व/जीआर IV/75-4, दिनांक 29.9.1975, एसओ 146.- चूंकि राज्य सरकार ने सितम्बर और अक्टूबर, 1975 के माह में अभियान के आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों को अलवर जिले में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है;और चूंकि अलवर जिले के सभी गांवों में पर्याप्त खाली कृषि भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है;और जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चरागाह भूमि को किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं बदला जाएगा, जिसके लिए लोकहित में सीमित उद्देश्य के लिए छूट की आवश्यकता हो;अतः अब, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 257 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने हेतु अलवर जिले में चारागाह भूमि के व्यपवर्तन की सहमति में छूट प्रदान करती है। ऐसी चारागाह भूमि को कलेक्टर, अलवर द्वारा पूर्वोक्त सीमित प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा।चारागाह भूमि के परिवर्तन की यह अनुमति 21-10-1975 तक लागू रहेगी।[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-सी, दिनांक 29-9-1975, पृष्ठ 332 पर प्रकाशित]अधिसूचना संख्या एफ 6(87) राजस्व/ग्रेड IV, दिनांक 24.10.1975, एसओ 164. - चूंकि राज्य सरकार ने अक्टूबर और नवंबर, 1975 के महीनों में अभियान के आधार पर अजमेर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है;और चूंकि अजमेर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक जिलों के सभी गांवों में आवंटन के लिए पर्याप्त खाली कृषि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती है;और जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चरागाह भूमि को किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं बदला जाएगा, जिसके लिए लोकहित में सीमित उद्देश्य के लिए छूट की आवश्यकता हो;अतः

अब, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के अनुसरण में राज्य सरकार, अजमेर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में संबंधित कलेक्टरों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटित किए जाने हेतु चारागाह भूमि के परिवर्तन को मंजूरी प्रदान करती है। ऐसी चारागाह भूमि को अजमेर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक कलेक्टरों द्वारा पूर्वोक्त सीमित प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा:बशर्ते कि चारागाह को कृषि प्रयोजनों के लिए तब तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में ग्राम सभा का संकल्प न हो:[परन्तु पूर्ववर्ती दो परन्तुकों की शर्तें सवाई माधोपुर जिले में चारागाह भूमि के संपरिवर्तन के लिए दी गई अनुमति पर लागू नहीं होंगी] *[अधिसूचना संख्या 6(87) राजस्व/जी.आर.-IV/75, दिनांक 2-11-1995 द्वारा सम्मिलित, राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-सी, दिनांक 2-11-1975 में प्रकाशित।]*बशर्ते कि इसे तब तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह गांव के मवेशियों की आवश्यकता से अधिक न हो और गांव के मवेशियों की आवश्यकताओं का निर्धारण राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।चारागाह भूमि के परिवर्तन की यह अनुमति 30-11-1975 तक लागू रहेगी।स्पष्टीकरण.- अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, 'ग्राम सभा' से राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम संख्या 12, 1953) की धारा 5 के खण्ड (5) में परिभाषित पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क निवासियों की आम बैठक अभिप्रेत है।[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-C, दिनांक 24.10.1975 के पृष्ठ 387-388 पर प्रकाशित]अधिसूचना संख्या एफ 6(104) राजस्व/जीआर. IV/75/भाग एफ, दिनांक 14.11.1975, एसओ 183. - राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के अनुसरण में, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(87) राजस्व/जीआर. IV/75, दिनांक 24-10-1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-संशोधनउक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, -(ए)"संबंधित कलेक्टर" शब्दों के पश्चात "या इन जिलों में उप-मंडल अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर" अभिव्यक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, तथा(बी)"अजमेर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में कलेक्टर द्वारा" अभिव्यक्ति के पश्चात "या इन जिलों में उप-मंडल अधिकारियों द्वारा उनकी संबंधित अधिकारिता के भीतर" अभिव्यक्ति अंत:स्थापित की जाएगी।[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-C, दिनांक 14-11-1975, पृष्ठ 47 में प्रकाशित।]अधिसूचना संख्या एफ 5(6) राजस्व/जीआर IV/77, दिनांक 30-9-1977, एसओ 365.- चूंकि सरकार के संज्ञान में आया है कि भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि, बंदोबस्त अधिकारी की इस आशय की सूचना के अभाव में, बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान चारागाह भूमि के रूप में चिन्हित कर दी गई थी;और जबकि राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी चरागाह भूमि किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं दी जाएगी;अतः अब, उक्त नियमों के नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार उप-विभागीय अधिकारी को कृषि प्रयोजनों के लिए ऐसी चरागाह भूमि के उपयोग की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करती है; बशर्ते कि ऐसी भूमि को बंदोबस्त कार्यों के दौरान चरागाह भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था और यह ऐसी बंदोबस्त से पहले चरागाह या चरनोई नहीं थी और बंदोबस्त रिकॉर्ड राजस्व अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले ही इसे आवंटित किया जा चुका था।यह अधिसूचना 30-11-1977 तक प्रभावी

रहेगी।[राजस्थान राजपत्र भाग IV-C(II), दिनांक 6-10-1977, पृ. 243 में प्रकाशित।]अधिसूचना संख्या एफ 4(52) राजस्व/IV/76, दिनांक 16-12-1976, एसओ 189.- राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 24एए के उपनियम (2) के अनुसरण में, राज्य सरकार, अतिरिक्त कलक्टर, कमांड क्षेत्र विकास, चंबल परियोजना कोटा और बूंदी को उक्त अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में उक्त उपनियम के तहत भूमि के आदान-प्रदान की अनुमति देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग IV-(II), दिनांक 16-12-1976, पृ. 391 में प्रकाशित।]